मेरी योजना
(द्वितीय संस्करण - राज्य सरकार)
उत्तराखण्ड शासन
योजनाएं / नीतियां
जनकल्याणकारी
स्वरोजगार/रोजगारपरक
कौशल विकास/प्रशिक्षण परक
मूलभूत सेवायें
प्रमाण पत्र
लाभ
पात्रता
आवेदन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया
पोर्टल
राज्य सरकार
मेरी योजना मेरा अधिकार , अपणि सरकार जनता के द्वार
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष
प्रारम्भ होने के शुभ अवसर पर
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली का

''मेरी योजना''

''उत्तराखण्ड राज्य में संचालित जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं को सरल शब्दों में जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु गत वर्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रतियां राज्य के समस्त ग्रामप्रधानों/जनप्रतिनिधियों तथा विभागाध्यक्षों एवं राज्य के समस्त राजकीय पुस्तकालयों को वितरित की गयी तथा आमजनमानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु पुस्तक की पीडीएफ प्रति उत्तराखण्ड के समस्त विभागों की वैबसाइट में उपलब्ध है। गतवर्ष में पुस्तक को तैयार करते समय कतिपय विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाएं/योजनाएं प्राप्त नहीं हो पाई थी तथा कई विभागों की योजनाओं में वर्तमान में परिवर्तन हुआ है। इसलिए पुस्तक की सफलता एवं मांग को देखते हुये तथा कतिपय विभागों की अप्राप्त सूचनाओं एवं अद्यतन सूचनाओं को एकत्रित कर पुनः मुद्रित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी, फलतः द्वितीय संस्करण के रूप में "मेरी योजना" पुस्तक आपके समक्ष है। इस पुस्तक में राज्य सरकार के उन विभागों की योजनाओं का उल्लेख किया है, जो या तो पूर्व में अप्रकाशित थे या जिनकी योजनाओं में वर्तमान में संशोधन हुआ है। पुस्तक के आगामी पन्नों पर कई जगह पर संशोधन का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि "मेरी योजना" पुस्तक के पूर्व संस्करण में उल्लिखित सूचना संशोधन के साथ पुनः प्रकाशित हुई है। आशा है कि ''मेरी योजना'' पुस्तक के द्वितीय संस्करण की सूचनाएं पाठकों/लाभार्थियों/शोधार्थियों/नीतिनिर्धारणकर्ताओं के लिए लाभदायक होगी एवं राज्य की जनता को योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी जागरूक करेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव हेतु कृपया पता–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय सुभाष रोड, देहरादून तथा ईमेल– sopi-1@uk.gov.in में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करणों को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून। ई–मेल: sopi-1@uk.gov.in

संरक्षण एवं निर्देशन

ले.ज. गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से.नि.)
मा. राज्यपाल उत्तराखण्ड
श्री पुष्कर सिंह धामी– मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड
श्रीमती राधा रतूडी– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड
श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन

सम्पादक

श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सह–सम्पादक

श्री एन.एस डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी–अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल–अनुभाग अधिकारी, श्री रावेन्द्र चौहान–विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती वन्दना पाटनी–विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती रंजना–समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं सूचनाओं का संकलन तथा मीटिंग/वार्ता गतिविधियां

श्री एन.एस. डुंगरियाल– संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी–अनु सचिव, श्री रावेन्द्र चौहान, श्रीमती वन्दना पाटनी, श्रीमती सरिता तोमर–विशेषकार्याधिकारी, श्री नन्दराम–पूर्व अनुभाग अधिकारी, श्री प्रकाश पालीवाल–अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण सिंह राणा, श्रीमती रंजना, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग।

पुस्तक प्रूफ रीडिंग

श्री एन.एस. डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी–अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल– अनुभाग अधिकारी, श्री रावेन्द्र चौहान, श्री ललित मोहन आर्य, श्री संजीव कुमार शर्मा, डॉ. शैलेश कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र पयाल–विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती रंजना–समीक्षा अधिकारी।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग, पेज डिजाइन एवं पुस्तक डाटा संरक्षण

श्रीमती रंजना–समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्री अजय सिंह भण्डारी–कम्प्यूटर सहायक एवं श्री मुकेश चन्द्र देवरानी–कम्प्यूटर सहायक, श्री अमित वर्मा–होमगार्ड, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन

सहयोग

राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों के समस्त विभागीय अधिकारी/कार्मिक एवं एनआईसी टीम।

मुद्रण

(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा मुद्रित तथा पुस्तक आमजन हेतु डिजिटल रूप में https://uk.gov.in पर उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राजभवन उत्तराखण्ड
देहरादून 248 003
दूरभाष: 0135-2757400
0135-2757403

20.11.2024

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तक में उत्तराखण्ड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों, शिक्षा परक पहलों और निवेश संबंधी नीतियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

"मेरी योजना" पुस्तक न केवल राज्य की योजनाओं और नीतियों को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि आम जनमानस को इनसे जुड़ने और लाभान्वित होने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। "मेरी योजना" पुस्तक को डिजिटल माध्यम से भी जनसामान्य तक पहुंचाने की पहल वास्तव में प्रशंसनीय और समयानुकूल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक जनहित के लिए उपयोगी साबित होगी।

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के इस अभिनव प्रयास के लिए मैं अपनी हार्दिक बधाई एवं पुस्तक प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

गुरमीत

ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)

पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून-248001
फोन : 0135-2650433
0135-2716262
फैक्स : 0135-2712827
कैम्प कार्या.: 0135-2750033
0135-2750344
फैक्स: 0135-2752144

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "मेरी योजना" नामक पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासपरक, जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं को जनमानस तक सुलभ पहुंच बनाये जाने हेतु नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को सरल भाषा में साररूप से संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ–साथ डिजिटल माध्यम से भी आम जनमानस तक पहुंच बनाये रखने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के जनमानस को तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ प्रदेश सरकार के विकास कार्यों में भी सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। पुस्तक के प्रकाशन से जहां एक ओर, सरकार जनता के द्वार के अनुरूप योजनाओं पर आम जनमानस की पहुंच हो जाएगी वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं के अधिक से अधिक उपयोग से रोजगार/स्वरोजगार के सृजन में भी नये आयाम स्थापित होंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक के द्वितीय संस्करण को अल्प अवधि में प्रकाशित किया जाना एक सराहनीय पहल है।

इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

(पुष्कर सिंह धामी)

राधा रतूड़ी

मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
राज्य सचिवालय, देहरादून
फोन: (का.) 0135-2712100, 2712200
फैक्स: 0135-2712500
ई–मेल: cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

दिनांक: 11 नवम्बर 2024

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विकासपरक, जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं की आम जनमानस तक सुलभ पहुंच बनाये जाने से सम्बन्धित नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ–साथ डिजिटल माध्यम से भी पहुंच बनाये रखने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सार्थक पहल की जा रही है।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के आम जनमानस को लाभ होगा एवं प्रदेश सरकार के विकास कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

(राधा रतूड़ी)

दीपक कुमार
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2664127

संदेश

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा ''मेरी योजना'' पुस्तक के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन में उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी को संकलित करते हुए इस पुस्तक की भाषा बेहद सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि राज्य का कोई भी आम नागरिक यदि पुस्तक पढ़ें तो वह आसानी से योजनाओं/सेवाओं/का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, की प्रक्रिया समझ सकें।

मेरी योजना पुस्तक के द्वितीय संस्करण में भी राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का आम जनमानस तक सुलभ पहुंच बनाये जाने की नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ–साथ डिजिटल के माध्यम से भी जानकारी सरल हिन्दी भाषा में उल्लिखित की गयी है, जिसमें योजनाओं/सेवाओं का नाम, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया का उल्लेख तथा जिन प्रतिष्ठानों की सूचना इस प्रारूप में नहीं है, का भी संक्षिप्त विवरण एवं उनके द्वारा किये जाये रहे कार्यों का विवरण उल्लिखित किया गया है, ताकि राज्य के नागरिक राज्य में स्थापित इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सेवाओं/कार्यों का लाभ एवं जानकारी प्राप्त कर सकें। इस पुस्तक में पूर्व में प्रकाशित विभागों की योजनाओं में यदि संशोधन है तो उसका भी उल्लेख किया गया है तथा जिन विभागों में नयी योजनाएं जोड़ी गई है, उनको भी समाहित किया गया है।

अतः मेरा पुनः विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं/कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं इनका लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं पाठकों, शोधार्थियों एवं नीति नियंताओं तथा विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए यह पुस्तक मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

(दीपक कुमार)
सचिव

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, निगम, संगठनों के नाम	जन कल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, योजनाओं/कार्यक्रमों, निवेशपरक नीतियों तथा मूलभूत सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग होने वाले प्रमाण पत्रों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	समाज कल्याण विभाग	01. अटल आवास योजना 02. दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार 03. दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण क्रय तथा मरम्मत कराये जाने हेतु अनुदान। 04. जन्म से दिव्यांग बच्चे का भरण पोषण अनुदान 05. दिव्यांग छात्रवृत्ति कक्षा (01 से 08) 06. अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार। **समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं का विवरणः–** 1.राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय 2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास 4.राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह 5.राजकीय भिक्षुक गृह 6. मानसिक रूप से उपचारित व्यक्तियों हेतु आवास गृह 7. राजकीय दिव्यांग कर्मशाला	1–6
		उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग	7–8
2.	जनजाति कल्याण विभाग	1.अनु0 जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सहायता (राज्य सहायतित) 2. बुक्सा एवं राजी जनजाति विकास योजना 3.अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु अटल आवास योजना 4. परीक्षा पूर्व कोंचिग 5. प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (PM JANMAN) **जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरणः–** 1.शैक्षिक संस्थान/विद्यालयों का विवरण 2. शैक्षिक संस्था/छात्रावासों का विवरण 3. तकनीकी/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण **शैक्षिक/संस्थानों/विद्यालयों में कार्मिकों की भर्ती प्रक्रियाः–** 1.राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय 2. राजकीय जनजाति छात्रावास 3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय **शैक्षिक संस्थानों/विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रियाः–**1.राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय 2. राजकीय जनजाति छात्रावास 3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	9–13
		उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग	14–15
3.	उत्तराखण्ड बहुउददेशीय वित्त एवं विकास निगम	1.प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) 2. जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति) 3.जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जनजाति) 4.जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग) 5.शिल्पी ग्राम योजना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	16–18
4.	सैनिक कल्याण विभाग	1. निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण **(संशोधित)** ।	19–20
	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)	1. रोजगार हेतु प्रायोजन 2. कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	21–22
5.	महिला कल्याण विभाग	01. पालना घर (क्रैच)	23–24
		उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग	25–26

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

6.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	**उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग**	**27–28**
	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून	1.मुंशी (हाईस्कूल), मौलवी (हाईस्कूल) एवं आलिम (इण्टरमीडिएट) की परीक्षाऐं संचालित करना। 2. तहतानिया (कक्षा 1 से 5) फौकानिया (कक्षा 6 से 8) तथा आलिम (इण्टरमीडिएट) आदि की मान्यता प्रदान करना।	**29–30**
	उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड	1. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वक्फ मॉडर्न मदरसा	**31**
7.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)	1.मोबाईल लर्निंग सेन्टर 2. चिकित्सा जॉच सुविधा 3. सामूहिक कन्या विवाह सहायता योजना। **WFC स्थान और पता (गढ़वाल क्षेत्र)–16 एवं WFC स्थान और पता (कुमाऊँ क्षेत्र)–17 का विवरण**	**32–35**
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	**विधिक माप विज्ञान विभागः–** 1. बाट–माप तथा तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ता को लाइसेन्स। 2. बाट–माप तथा तौल यंत्रों के विक्रेता को लाइसेन्स। 3. बाट–माप तथा तौल यंत्रों के विनिर्माता को लाइसेन्स ।	**36–37**
		उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग	**38**
		राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड	**39–40**
9.	गृह (पुलिस) विभाग	1. **साइबर क्राइम।**	**41–45**
		2. **उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाए**	**46–47**
		3. **राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण,उत्तराखण्ड**	**48**
		4. **जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण**	**49**
		5. **कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग**	
10.	भाषा विभाग	**उत्तराखण्ड भाषा संस्थान देहरादूनः**–1.उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान 2. हिन्दी दिवस समारोह एवं प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना 3. भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन 4. विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान	**50–51**
11.	माध्यमिक शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा परियोजना)	1.निपुण भारत मिशन उत्तराखण्ड 2. रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण 3. समावेशित शिक्षा 4. सामुदायिक सहभागिता 5. गुणवत्ता एवं नवाचार निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक 6. निःशुल्क गणवेश 7.Maths Wizard & Spelling Genius 8.कला उत्सव प्रतियोगिता 9. Enhancement of Spoken English Programme 10. यूथ एवं ईको क्लब 11. विद्या समीक्षा केन्द्र 12. सुपर–100 कार्यक्रम	**52–56**
12.	संस्कृत शिक्षा विभाग	**उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वारः** 1.संस्कृत छात्र प्रतियोगिता **(संशोधित)** 2. अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन **(संशोधित)** 3. संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान **(संशोधित)** 4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसचित जाति एवं अनु. जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना **(संशोधित)** 5. गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 6. शोधग्रन्थ चयन योजना 7. अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन 8.अखिल भारतीय वेद सम्मेलन एवं	**57–63**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु सम्मेलन 9. वैदिक गणित पर एकदिवसीय संगोष्ठी	
		उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP- 2020 के अनुरूप संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम व उनके शुल्कादि का विवरण	
13.	प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा, विभाग	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पालीटेक्निक संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों का विवरण	**64–70**
		वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	**71–73**
14.	कौशल विकास एंव सेवायोजन विभाग	कौशल विकास एवं सेवायोजन द्वारा वर्तमान में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण	**74–77**
15.	खेल विभाग	1.कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति **(संशोधित)** 2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को खेलकिट प्रदान 3. उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों/क्लबों/खेल समितियों को अनुदान एवं आर्थिक सहायता 4. अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता 5. निजी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं (बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्कवैश, इंडोर क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी एवं स्वीमिंग) का निर्माण	**78–80**
16.	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क)	1.यू–सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन 2. महिलाओं, महिला वैज्ञानिकों, अध्यापकों एवं युवा छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कॉनक्लेव एवं सम्मान का आयोजन 3. डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना	**81–83**
17.	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू–कॉस्ट)	1. विज्ञान संचार एवं लोकव्यापिकरण **(संशोधित)** 2. उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम **(संशोधित)** 3. सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव **(संशोधित)** 4. उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी **(संशोधित)** 5. सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली **(संशोधित)** 6. लैब्स ऑन व्हीलस 7. विज्ञान केन्द्र चम्पावत 8. मानसखण्ड उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोडा 9. स्टैम (STEM) लैब 10.एस. सी. एस. टी. सैल की स्थापना 11. उत्तराखण्ड@25 आदर्श चम्पावत 12. पं. दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना 13. उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र 14. आपदा प्रबन्धन केन्द्र	**84–89**
18.	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग)	1.आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कार्यक्रम।	**90**
19.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	1. उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण	**91–92**
20.	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड	1. राजकीय मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों, आर्युवेदिक होम्योपैथिक चिकित्सालयों तथा श्रम विभाग के अन्तर्गत समूह 'ख' तथा 'ग' के विभिन्न अध्यापन संकाय, चिकित्साधिकारी, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पदों पर चयन प्रक्रिया।	**93–94**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

21.	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग	उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	95–97
22.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग	1.स्टार्टअप नीति–2023 **(संशोधित)** 2. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 **(संशोधित)** 3.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 4. निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2023	98–103
		स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल)	104–105
23.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	1. उत्तराखण्ड ऊन योजना 2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)	106–109
24.	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग	1.सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन **(संशोधित)** 2. उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना **(संशोधित)** 3. लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता **(संशोधित)** 4. धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता **(संशोधित)** 5. अनु0जा0/जनजाति के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश–भूषा का क्रय करने हेतु **(संशोधित)** 6. भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय **(संशोधित)** 7.प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, निकट दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून। 8. हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट, देहरादून।	110–114
		राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा	115
		राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़	116
		श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति	117–118
25.	पर्यटन विभाग	**उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्:–** 1. उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण 2. निधि + पोर्टल (पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना) 3. रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग गतिविधियों का संचालन। 4. पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन। 5– P1, P2, P3, P4, SIV, गाईडेड फ्लाईग। 6. लाइफ सेविंग टेकनीक वाटर स्पोटर्स ऑपरेटर 7. बेसिक क्याकिंग कोर्स 8. राफ्टिंग कोर्स और इंटर्नशिप 9. स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स 10. हाई एलटीट्यूड गाइड कोर्स। 11. लो एलटीट्यूड गाइड कोर्स 12. स्कीइंग कोर्स।	119–125
		गढ़वाल मण्डल विकास निगम	126–128
		कुमाऊ मण्डल विकास निगम	129–131
		राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून	132
		जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान, अल्मोड़ा	133
26.	ऊर्जा विभाग (उरेड़ा)	1. पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना 2. सोलर वाटर हीटर योजना	134–137
	विद्युत नियामक आयोग	विद्युत नियामक आयोग	138–153

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

27.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	1. फिल्मों को अनुदान **(संशोधित)**	**154–155**
28.	ग्राम्य विकास विभाग	1.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत **(संशोधित)** 2.लखपति दीदी योजना 3. वाइब्रेंड विलेज प्रोग्राम 4. हाउस ऑफ हिमालयाज 5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 6.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत	**156–161**
		ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग	**162**
29.	कृषि विभाग	1.स्टेट मिलेट मिशन 2. स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम	**163–164**
	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद	नमामि गंगे योजना	**165**
	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	1. व्यवसायिक दुकानों का आवंटन 2. किसान बाजार की दुकानों का आवंटन 3. कैण्टीनों का आवंटन 4. व्यापारिक गोदाम 5. छात्रवृत्ति योजना 6. व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना 7. कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना 8. ठेकदारी का पंजीकरण 9. सम्पर्क मार्ग 10. हैण्डपम्प	**166–173**
	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	**शैक्षणिक कार्यक्रमः**–1. स्नातक पाठ्यक्रम 2. परास्नातक पाठ्यक्रम 3.पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम **छात्र–कल्याण विभागः**–1 खेल छात्रवृत्ति (यूजी) 2. विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति (पीएचडी) 3. मेरिट छात्रवृत्ति (शीर्ष 03 यूजी छात्र) 4. फ्रीशिप स्टाफ वार्ड 5. रू0 1,00,000 से कम फ्रीशिप (केवल यूजी छात्र) 6. मंडी समिति 7. छात्रवृत्ति योजना जेएंडके पीएमएसएस (सीधे प्रवेश फॉर्म एआईसीटीई) 8.गेट छात्रवृत्ति 9.डीएसटी–इंस्पायर (पीएचडी) 10.आईसीएमआर (पीएचडी) 11.आईसीएसएसआर (पीएचडी) 12. सीएसआईआर (पीएचडी) 13. आईसीएआर–एनटीएस यूजी (बी.एससी.) 14.आईसीएआर–एनटीएस पीजी (एम.एससी.) 15. आईसीएआर–एसआरएफ (पीएचडी) 16.आईसीएआर–जेआरएफ एम.एससी. 17. आरजीएनएफ–नेट–जेआरएफ (पीएचडी) 18.आरजीएनएफ–एससी (पीएचडी) 19.आरजीएनएफ–एसटी (पीएचडी) 20. आरजीएनएफ–ओबीसी (पीएचडी) 21.पीडीएफ–एचएससी 22. पीडीएफ महिला 23. अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी) 24. आईसीएआर–अफगानिस्तान 25.आईसीएआर–अफ्रीकी 26.अमित गौतम मेमोरियल स्कॉलरशिप (बी.टेक (इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग) चतुर्थ) 27.मेरिट एसएच का पुरस्कार। एजी के छात्रों के लिए. इंजीनियरिंग (बी.टेक तृतीय/चतुर्थ वर्ष) 28.चांसलर स्वर्ण पदक 29 .डॉ. ध्यानपाल सिंह मेमोरियल अवार्ड (सभी महाविद्यालयों के यूजी अंतिम वर्ष के छात्र) 30.डॉ. एस.के. मुखर्जी छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी. द्वितीय और तृतीय वर्ष) 31. एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन रिसर्च फेलोशिप (एमएससी एजी सभी अनुशासन) 32.प्रियांक पाठक छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी (चतुर्थ वर्ष) छात्र) 33.मोनसेंटो छात्रवृत्ति (एम.एससी. कृषि विज्ञान और कृषि। जैव प्रौद्योगिकी) 34.के.सी. शर्मा फ़ेलोशिप (एम.एससी. एजी, एग्रोनॉमी (द्वितीय वर्ष) छात्र) 35.डॉ. एस.के. शर्मा और (पीएचडी गणित) 36.डॉ. वी.एन. माथुर पुरस्कार (एम.एससी. गणित) 37.डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय स्वर्ण पदक (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र) 38.डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय जरूरतमंद छात्र निधि (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र) 39.श्रीमती उमा गुप्ता फ़ेलोशिप (एम.एससी. एजी. (जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग) 40.श्रीमती बिमला रानी मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी., बी.वी.एससी. और ए.एच., बी.एचएससी. और बी.एफ.एससी.) 41. डॉ. वाई.वी. सब्जी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ थीसिस के लिए सिंह	**174–188**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		पुरस्कार। 42.वरुण पंवार मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी. द्वितीय वर्ष (1), तृतीय वर्ष (01) और चतुर्थ वर्ष (01) छात्र) **निदेशक शोधः**–1.बीज अनुदान 2. रिसर्च असिस्टेंटशिप **प्रसार शिक्षा कार्यक्रम :–** 1.प्रशिक्षण एवं भ्रमण इकाई 2. समेटी–उत्तराखण्ड 3 कृषि विज्ञान केन्द्र 4. कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र, एटिक 5. अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी	
30.	उद्यान विभाग	1. सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र 2. राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द	**189–190**
		वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वालः– 1.बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं पीएच0डी0 2.किसान विज्ञान केन्द्र की विभिन्न प्रशिक्षण तथा अन्य सहायक योजनायें 3.ग्रामीण कृषि मौसम सेवा 4. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	**191–192**
31.	पशुपालन विभाग	1. पशुधन मिशन योजना ऋण पर ब्याज भुगतान	**193–194**
	उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेंन्ट बोर्ड	1. मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 2. ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म 3. राष्ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत पशुधन बीमा योजना 4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उघमिता विकास योजना	**195–197**
	उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग	संक्षिप्त परिचय एवं कार्य	**198–199**
32.	डेरी विकास विभाग	1. महिला डेरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड	**200–201**
33.	मत्स्य विभाग	1. मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना **(प्रारूप तालिका–1)** 2. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (नवीन योजना) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सह योजना 3. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मत्स्य क्षेत्रक	**202–206**
34.	वन एवं पर्यावरण विभाग	**1. मानव वन्य जीवन सघर्ष राहत वितरण निधि के अन्तर्गत मुआवजा का विवरण। (संशोधित)** **उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्डः– 1.** स्थापनार्थ सहमति (CTE) 2. संचालनार्थ सहमति (CTO) 3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 4. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार 5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 6. ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम के अन्तर्गत प्राधिकार 7. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 8. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	**207–211**
35.	आवास विभाग	1. उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2024 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक। **(संशोधित)**	**212–213**
		उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण	**214–215**
	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	1. मानचित्र सरलीकरण प्रक्रिया 2. उदय ऐप के द्वारा मानचित्र स्वीकृति 3. आवासीय निर्माण हेतु मॉडल मानचित्र उपलब्ध कराना 4. हेल्प डेस्क 5. आवासीय सुविधा 1–इन्द्रलोक आवासीय योजना (ग्रुप आवास)	**216–217**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

36.	शहरी विकास विभाग	**राज्य सफाई कर्मचारी आयोग**	218
	नगर निगम, देहरादून	1.व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बी0एल0सी0) 2.स्वतः रोजगार कार्यक्रम 3.स्वयं सहायता समूह 4. शहरी निराश्रितों हेतु सहयोग 5. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना (पी0एम0स्वनिधि) 6.जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र 7.मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र 8.अनुउपलब्धता जन्म प्रमाण पत्र हेतु 9. सम्पत्ति कर संग्रह 10. सम्पत्ति हस्तातंरण अविवादित/विवादित 11.कर निर्धारिण सूची की छायाप्रति उपलब्ध करायें 12. उत्तराखण्ड राज्य की लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रमाण पत्र 13. एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र	219–230
37.	पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम)	1. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) **(संशोधित)** 2. विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अर्द्धनगरीय पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था।	231–232
38.	राजस्व विभाग	1.अरायज नवीश लाईसेंस 2.स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस 3.साहुकारी व्यवसाय लाईसेंस 4.उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र 5. तहसीलों के कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों में हुई टंकण त्रुटि दुरस्त किया जाना 6. राजस्व अभिलेखागार/न्यायिक अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण 7.लीज नवीनीकरण	233–235
39.	परिवहन विभाग उत्तराखण्ड	**उत्तराखण्ड परिवहन निगमः–** विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों हेतु निगम बसों में छूट का विवरण	236–238
40.	सूचना प्रौद्योगिकी (ITDA)	1. अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ **(संशोधित)** 2. ड्रोन नीति 2023 3. आई0टी0 इन्क्यूबेशन सेन्टर 4. मुख्यमंत्री संदर्भ पोर्टल https://cmreferences.uk.gov.in/ 5. मुख्यमंत्री जनसमर्पण पोर्टल (तहसील दिवस) https://cmjs.uk.gov.in/	239–243
41.	लघु सिंचाई विभाग	1. प्रधानमत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (सतही योजना) (90% केन्द्राशं, 10% राज्याशं) 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (भूजल योजना) (90% केन्द्राशं, 10% राज्याशं) 3. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पी0एम0–कुसुम) (50% केन्द्राशं, 30% राज्याश, 20% कृषक अशं) 4. नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण 5. सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए) (100% राज्याश) 6. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण (100% राज्याश) 7. अनुसूचित जाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्याश) 8. अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्याश)	244–248
42.	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (वित्त विभाग)	1. भूमि/भवन की रजिस्ट्री (अचल सम्पत्ति का पंजीकरण) 2. विवाह प्रमाण–पत्र प्रदान करना 3. रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल प्रदान करना 4. भूमि/भवन आदि की पूर्व में पंजीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना 5. रजिस्ट्री में दी जा रही स्टाम्प छूट	249–250
	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स	1. सोसाइटी पंजीकरण 2. फर्म पंजीकरण	251

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

43.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विभाग	1.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (NFSM) 2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 3. सब मिशन ऑन ग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना (SMAM) 4. मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना 5.गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम/उत्पादन में वृद्धि की योजना 6. जिला योजना 7.गन्ना कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	**252–257**
44.	आबकारी विभाग	आबकारी विभाग	**258–259**
45.	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड	1.ई–निविदा सह ई–नीलामी खनन पट्टा 2. निगमों को पट्टे का आवंटन 3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट 4. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट 5. हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट 6. रिटेल भण्डारण 7. रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा	**260–265**
46.	आभार		**266**
47.	उत्तराखण्ड राज्य के उक्त विभागों के नाम/पता/वेबसाइट का पूर्ण विवरण		**267–274**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

समाज कल्याण विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	अटल आवास योजना	₹ 1,30,000 (पर्वतीय क्षेत्र) तथा ₹1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) 3 किस्तों में।	1.अनुसूचित जाति के परिवार 2.बीपीएल या ₹ 48000 वार्षिक आय सीमा 3.आवेदक का कोई मकान न हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए।	प्रति वर्ष जनपदों को लक्ष्य दिये जाते है। जनपदों द्वारा लक्ष्य का जनसंख्या के आधार पर विकासखण्डों को आवंटन किया जाता है। विकासखण्ड स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, सीबीएस आधार सीडिंग/लिंक बैंक खाता, सम्पत्ति के दस्तावेज लगाये जाने अनिवार्य है। आवेदन पत्र ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, द्वारा सत्यापित किये जाते है। खण्ड विकास स्तर पर एक वरीयता सूची तैयार की जाती है। प्राप्त आवेदनों में से मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी की समिति द्वारा पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है। तदोपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।
02.	दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	₹ 8000/– धनराशि दी जाती है।	योजना के अन्तर्गत निम्न श्रेणी में पुरस्कार दिये जाते है:– 1. दिव्यांग कर्मचारी, 2. उत्कृष्ट खिलाड़ी 3. स्वतः रोजगार में सर्वश्रेष्ठ सेवायोजक	यह पुरस्कार विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर के अवसर पर वितरित किये जाते है। इस हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदक को दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ उनके द्वारा किये गये विशेष कार्य का विवरण के साथ, आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते है। जनपद स्तर पर आवश्यक जांच के उपरांत निदेशक, समाज कल्याण की संस्तुति के उपरांत शासन स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के उपरांत प्रत्येक श्रेणी में योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा 8000 रू0 बैंक ड्राफ्ट/चैक प्रदान किया जाता है।
03.	दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण क्रय तथा मरम्मत कराये	व्यक्तिगत मामलों में ₹ 50/ से 3500/(अधिकतम ₹7000/) तक, एवं कृत्रिम	अभ्यर्थी के (नाबालिग होने की स्थिति में) माता–पिता की ₹ 4000/– मासिक आय की	अभ्यर्थी को कृत्रिम अंग अथवा श्रवण सहायक यंत्र लगाने की संस्तुति चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवेदन पत्र पूर्ण कर संबंधित सहायक समाज

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	जाने हेतु अनुदान	अंग एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत हेतु ₹500/– अनुदान धनराशि दी जाती है।	सीमा। 40 प्रतिशत दिव्यांगता।	कल्याण अधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। तत्पश्चात् कोषागार के माध्यम से संबंधित लाभार्थी को भुगतान की जायेगी।
04.	जन्म से दिव्यांग बच्चे का भरण पोषण अनुदान	माता–पिता या अभिभावक को ₹700/– प्रतिमाह	18 वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के भरण–पोषण करने वाले माता–पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹ 4000 से कम अथवा बीपीएल श्रेणी।	आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा। **आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :–** आवेदक का मोबाईल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो (ग्राम प्रधान/वी0पी0डी0ओ0/सभासद द्वारा प्रमाणित) तथा आधार, वोटर आई0डी0 कार्ड, सीबीएस बैंक खाता, जो आधार कार्ड से लिंक/सीड हो, की छायाप्रति। परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। 40 प्रतिशत से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु), ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक में चयनित/पारित प्रस्ताव की प्रति। जिस जनपद से आवेदन करेंगे, सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन हेतु क्रमशः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी से उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर स्वीकृत कर भरण पोषण अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाती है। परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा यू0डी0आई0डी प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				पश्चात् आवेदन स्वीकृत होने के 01 माह बाद पेंशन उनके माता–पिता के खाते में आ जाती है।
05.	दिव्यांग छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 08 तक)	कक्षा 1 से 5 तक–रू0 600 कक्षा 6 से 8 तक–रू0 960	1. रू0 0.24 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र। दिव्यांग छात्र	छात्रों द्वारा भारत सरकार के एन0एस0पी0 पोर्टल (NSP) (https://scholarships.gov.in) में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, प्रमाणित फोटो, सी0बी0एस0 बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न लेने की स्वघोषणा पत्र। आवेदन पत्र को छात्र ऑनलाइन अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान आवेदन पत्र को सत्यापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (जिन्हें सही किया जा सकता है) अस्थायी रूप से डिफेक्ट किया जाता है, अन्यथा पूर्ण रूप से रिजेक्ट/अस्वीकृत किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष में सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है।
06.	अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार	विवाहित दम्पत्ति को रू0 50,000/– धनराशि संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है।	अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों में एक पक्ष अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है एवं अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पत्तियों में दोनों पक्षों का भिन्न–भिन्न धर्मो का होना अनिवार्य है।	प्राप्त आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षण उपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ निदेशालय के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ दुल्हा एवं दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड) शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, सी0बी0एस0 बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो, की प्रति लगाया जाना अनिवार्य है। शासन स्तर से स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी के पदनाम से बैंक डाफ्ट प्रेषित किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं का विवरण:

क्र0सं0	संस्था का नाम	जनपद	स्वीकृत क्षमता
(I)	**राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय**		
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, श्रीनगरः (कक्षा 1 से 5 तक)	पौड़ी	60
2.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अधोईवालाः (कक्षा 1 से 5 तक)	देहरादून	60
3.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जैंती : (कक्षा 1 से 5 तक) (वर्तमान में संचालित नहीं)	अल्मोड़ा	60
4.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रूद्रपुरः (कक्षा 1 से 5 तक)	ऊधमसिंह नगर	60
5.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैंकोटः (कक्षा 1 से 8 तक)	चमोली	230
6.	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतालघाटः (कक्षा 6 से 10 तक)	नैनीताल	150
7.	सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्याालय, मक्खनपुरः (कक्षाः 1 से 12)	हरिद्वार	570
(II)	**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः**		
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाइन्स	नैनीताल	172
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालधनचौड़,रामनगर	नैनीताल	104
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर,	बागेश्वर	104
(III)	**राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासः**		
1.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	48
2.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, चमियाला	टिहरी	48
3.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गोपेश्वर	चमोली	48
4.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	उत्तरकाशी	48
5.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	देहरादून	48
6.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	हरिद्वार	48
7.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पाइन्स	नैनीताल	48
8.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सैनिक विद्यालय परिसर, घोड़ाखाल	नैनीताल	24
9.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	अल्मोड़ा	48
10.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, लोहाघाट	चम्पावत	48
11.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	पिथौरागढ़	48
12.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	पिथौरागढ़	48
13.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	पौड़ी गढ़वाल	48

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

14.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	उत्तरकाशी	48
15.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, मसूरी	देहरादून	48
(IV)	**राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृहः**		
1.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, गोपेश्वर	चमोली	50
2.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, बागेश्वर	बागेश्वर	50
3.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	24
4.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, डोईवाला	देहरादून	50
(V)	**राजकीय भिक्षुक गृहः**		
1.	राजकीय भिक्षुक गृह, रोशनाबाद	हरिद्वार	200
(VI)	**मानसिक रूप से उपचारित व्यक्तियों हेतु आवास गृहः**		
1.	मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरूषों/महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं के लिये आवास गृह, रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर	50
(VII)	**राजकीय दिव्यांग कर्मशालाः**		
1.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, हल्द्वानी	नैनीताल	50 आवासीय 50 अनावासीय
2.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, चमियाला	टिहरी गढ़वाल	50 आवासीय 50 अनावासीय
3.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, कुमोढ़	पिथौरागढ़	50 आवासीय 50 अनावासीय

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग का गठन उत्तरांचल अनूसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा–3 के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य है। आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य सभी अनुसूचित जाति के होने आवश्यक है, तथा इनमें से एक सदस्य महिला होगी। आयोग के कर्तव्य निम्नलिखित हैं–

(क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और उनका मूल्यांकन करना।

(ख) अनुसूचित जातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

(ग) अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ड़) अनुसूचित जातियों के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में जो सरकार द्वारा किये जाय, सिफारिश करना।

(च) अनुसूचित जातियों के संरक्षण विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उसकी निर्दिष्ट किये जायें, निर्वहन करना।

आयोग की शक्तियां– सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां उत्तरांचल अनूसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा–11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी अर्थातः–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने।

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और

(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय।

शिकायतों के निवारण प्रक्रियाः– अनुसूचित जाति व्यक्ति द्वारा आयोग में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज की जा सकती है, अथवा आवेदक ऑनलाईन शिकायत दर्ज करके अपनी समस्या को वेबसाईट पर दर्ज कर सकता है।

जनजाति कल्याण विभाग

जनजाति कल्याण विभाग

क. स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1.	अनु0 जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सहायता	अनु0जनजाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 50,000 / – की दर से अनुदान।	अनु0 जनजाति के परिवार की समस्त स्रोतों सहित मासिक आय रू0 4000 / – अथवा बी0पी0एल परिवार / अंत्योदय परिवार । शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	आवेदक, आवेदन स्वयं / कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in, अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा तथा आवेदन में निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– आवेदक का मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल / स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से लिंक / सीड हो। वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु) दुल्हन एवं दूल्हे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर / आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। शपथ पत्र (आवेदक के परिवार ने इससे पूर्व सिर्फ 1 बार लाभ लिया हो अथवा लाभ ही न लिया हो) जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में हो तथा उसी समय दस्तावेज पूरे न हों, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परंतु लाभ, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जॉच की जायेगी तथा जॉच आख्या / संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी।
2	बुक्सा एवं राजी जनजाति विकास योजना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बुक्सा एवं राजी जनजाति के छात्र–छात्राओं / प्रशिक्षणार्थियों को रू0 500 / – प्रतिमाह / प्रति छात्र–छात्रा (10 माह हेतु) शिक्षा प्रोत्साहन सहायता	बुक्सा एवं राजी जनजाति के विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों में अध्ययनरत् / निवासरत् हो।	यह योजना, बुक्सा एवं राजी जनजाति के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उददेश्य से विभागीय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अध्ययनरत् हेतु छात्र–छात्राओं को ही दिये जाते है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

3	अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु अटल आवास योजना	रू0 1,30,000 (पर्वतीय क्षेत्र) तथा रू0 1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) 3 किस्तों में।	1. अनुसूचित जनजाति के परिवार। 2. बीपीएल या रू0 48000 वार्षिक आय सीमा। 3. आवेदक का कोई मकान न हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए।	वर्ष में जनपदों को लक्ष्य दिये जाते है। जनपदों द्वारा लक्ष्य का जनसंख्या के आधार पर विकासखण्डों को आवंटन किये जाते है। इस पर विकासखण्ड स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, सीबीएस आधार सीडिंग/लिंक बैंक खाता , सम्पत्ति के दस्तावेज लगाये जाने अनिवार्य है। आवेदन पत्र ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, द्वारा सत्यापित किये जाते है। खण्ड विकास स्तर पर एक वरीयता सूची तैयार की जाती है। प्राप्त आवेदन का मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी की कमेटी द्वारा पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है। तद्परान्त समिति की संस्तुति के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।
4	परीक्षा पूर्व कोंचिग	परीक्षा पूर्व कोचिंग की निःशुल्क सुविधा है। परीक्षा पूर्व कोचिग केन्दों में देय छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैः– बाह्य छात्र – रू0 1500.00 प्रतिमाह स्थानीय छात्र – रू0 750.00 प्रतिमाह	जनजाति के छात्र/छात्राओं।	अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों एवं निजी संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं यथा आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, एन0डी0ए0 तथा समूह ग की परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं की तैयार हेतु परीक्षा पूर्व कोंचिग की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। कोचिंग संस्थानों के चयन हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित की जाती है। और शासन स्तर पर अनुमोदन के उपरांत संस्था का चयन किया जाता है। छात्रों से भी आवेदन प्राप्त किये जाते है और उनके हाईस्कूल, इण्टर, या स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर कोचिंग हेतु चयन वरीयता दी जाती है।
5	प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (PMJANMAN)	बुक्सा एवं राजी जनजाति क्षेत्रों का विकास	बुक्सा एवं राजी जनजाति	राज्य में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पूर्व से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का शत् प्रतिशत लाभ उपलब्ध कराना। जैसे सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ, राशन कार्ड, शिक्षा, कौशल विकास, आवास, गैस कनेक्शन आदि। • राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के रूप में बुक्सा एवं राजी जनजाति निवासरत् है, जो, कि राज्य के 194 गाँवों में निवासरत् है। • प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजनान्तर्गत जनजाति कल्याण विभाग को 20 वनधन विकास केन्द्र तथा 25 बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजनान्तर्गत 09 मंत्रालयों की 11 इंटरवेंशन के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को संतृप्त किया जाना है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरणः–

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

1. शैक्षिक संस्थान/विद्यालयों का विवरणः

क्र.सं.	संस्था का नाम	जनपद	क्षमता
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 1 से 5 तक) लालढांग	हरिद्वार	150
2.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 8 तक) लालढांग	हरिद्वार	105
3.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) त्यूनी	देहरादून	175
4.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) हरिपुर	देहरादून	175
5.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 1 से 10 तक) लांगापोखरी	देहरादून	300
6.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 6 से 10 तक) लाखामण्डल	देहरादून	185
7.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 1 से 5 तक) बिन्सौण (त्यूनी)	देहरादून	175
8.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 6 से 8 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	105
9.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 1 से 10 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	245
10.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 6 से 10 तक) गूलरभोज	ऊधमसिंह नगर	185
11.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) बिडौरा	ऊधमसिंह नगर	175
12.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) गदरपुर	ऊधमसिंह नगर	175
13.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 1 से 10 तक) बलुवाकोट	पिथौरागढ़	245
14.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) मुनस्यारी	पिथौरागढ़	175
15.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 1 से 10 तक) छारछुम	पिथौरागढ़	310
16.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) जोशीमठ	चमोली	175
17.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) कालसी	देहरादून	420
18.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) बाजपुर	ऊधमसिंह मगर	420
19.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	420
20.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) मेहरावना	देहरादून	420

2. शैक्षिक संस्था/छात्रावासों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	जनपद	क्षमता
1.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक गोपेश्वर	चमोली	50
2.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक धारचूला	पिथौरागढ़	50
3.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक खटीमा	ऊधमसिंह नगर	50
4.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक काशीपुर	ऊधमसिंह नगर	50
5.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालिका धनपौ, लखवाड	देहरादून	50

3. तकनीकी / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	ग्राम / जनपद	क्षमता
1.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकराता	देहरादून	69
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गूलरभोज	ऊधमसिंह नगर	128
3.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खटीमा	ऊधमसिंह नगर	199

शैक्षिक संस्थानों / विद्यालयों में कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया–

क्र०सं०	संस्थान / विद्यालय	चयन प्रक्रिया
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	इन संस्थानों में शिक्षकों व अन्य कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया संगत नियमावली के आधार पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) अथवा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UKPSC)के माध्यम से की जाती है।
2	राजकीय जनजाति छात्रावास	
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) द्वारा की जाती है। (emrs.tribal.gov.in)

शैक्षिक संस्थानों / विद्यालयों प्रवेश प्रक्रिया–

क्र०सं०	संस्थान / विद्यालय	प्रवेश प्रक्रिया
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	आश्रम पद्धति विद्यालयों में निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं द्वारा विद्यालय में ऑफलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदक छात्र–छात्राओं की संख्या सीटों से अधिक होने पर चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाता है।
2	राजकीय जनजाति छात्रावास	निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं द्वारा सम्बन्धित छात्रावास में ऑफलाईन आवेदन किया जाता है जिनमें विद्यालय की दूरी एवं आय के दृष्टिगत प्रवेश दिया जाता है।
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	प्राप्त आवेदकों की निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण होने पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसके पश्चात मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–16 सन् 2015) की धारा–3 में प्राविधान है कि राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी, जो उत्तराखण्ड अनूसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ओर सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

आयोग की संरचना– आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं आठ सदस्य होंगे। आयोग में प्रत्येक जनजाति (थारू, जौनसारी, भोटिया, बुक्सा एवं राजी) के दो ही व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जनजाति के ऐसे योग्य पुरूष अथवा महिला पात्र होंगे जैसा विहित किया जाए।

सदस्य की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी, जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा तथा उनसे सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान के लिए योगदान दिया हो।

आयोग के कर्तव्य– आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम 2015 की धारा 11(1) के अनुसार आयोग के संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिए हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और अन्य समयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जैसा आयोग उचित समझे।

(ड़) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदनों में, उन उपायों के संबंध में जो सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करना।

आयोग की शक्तियां– अधिनियम की धारा–12 में किसी बात का विचार करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ आयोग की धारा–11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी अर्थातः–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने।

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और।

(च) किसी अन्य विषयों में, जो विहित किया जाये।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड बहुउददेशीय वित्त एवं विकास निगम

उत्तराखण्ड बहुउददेशीय वित्त एवं विकास निगम

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)	**अनुदान** – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 50,000 / – अधिकतम।	1– उत्तराखण्ड में निवासरत्। 2– अनुसूचित जाति 3– आयु सीमा निर्धारित नहीं है अपितु रू. 2.50 लाख आय सीमा के आवेदकों को चयन में वरीयता।	1– खण्ड विकास अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध कराये जाते है। खण्ड विकास कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिलधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से चयन कराते हुए भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किये जाते है। 2–राज्य स्तरीय समिति प्राप्त प्रस्तावों पर संस्तुति प्रदान करते हुए केन्द्र स्तरीय समिति को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते है। 3– केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन करने के उपरान्त धनावंटन किया जाता है।
2.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति)	1– **परियोजना लागत** – रू. 50,000 / – से रू. 2,00,000 / –बैंक ऋण–परियोजना लागत का 60 प्रतिशत । **मार्जिन मनी**–परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) **अनुदान** –अधिकतम रू. 10,000 / – **लाभार्थी अंश**– रू. 1.00 लाख तक कुछ नहीं, रू. 1.01 लाख से रू. 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	(1)उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। (2) आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो। (3) वार्षिक आय सीमा– ग्रामीण क्षेत्र – रू. 1,05,600 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र – रू0 1,29,840 वार्षिक।	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान हैं। नोट – अनुसूचित जाति वर्ग हेतु पृथक से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का संचालन होने के कारण उक्त योजना के केवल प्रशिक्षण मद में ही धनराशि का व्यय किया जा रहा है।
3.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	**परियोजना लागत** –रू. 50,000 / – से रू. 2,00,000 / – **बैंक ऋण** – परियोजना लागत का 60 प्रतिशत **मार्जिन मनी** – परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो। (2) आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान हैं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	(अनुसूचित जनजाति)	प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) **अनुदान** – अधिकतम रू. 50,000/– **लाभार्थी अंश**–रू. 1.00 लाख तक कुछ नहीं, रू. 1.01 लाख से रू. 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	के मध्य हो। (3) वार्षिक आय सीमा –रू. 2.50 लाख वार्षिक	
4.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग)	**1) सावधि ऋण योजना –** परियोजना लागत – रू. 75,000/– **अनुदान** –20 प्रतिशत अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो सावधि ऋण–रू. 65,000/– (06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर) **2) दुकान निर्माण –** परियोजना लागत – रू. 50,000/– **अनुदान** –20 प्रतिशत अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो **मार्जिन मनी –** रू. 40,000/–(4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) **3) बैंक पोषित ऋण हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना –** **परियोजना लागत**–रू. 2,00,000/– (अधिकतम) **अनुदान** –20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रू. 10,000/– **मार्जिन मनी –** परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, 36 मासिक किस्तों में)	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् हो। (2) 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा यूडी.आई.डी. (3) वार्षिक आय सीमा–शहरी क्षेत्र में रू. 2.00 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 1.60 लाख होनी चाहिए। (4) आयु सीमा – 18 से 50 वर्ष	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान हैं।
5.	शिल्पी ग्राम योजना (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)	चिन्हित शिल्पी ग्रामों एवं ट्रेडों में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति हो। (2) वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में आय 129840/– एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 105600/–	मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संस्थाओं एवं प्रशिक्षार्थियों का चयन किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

क्र0 सं0	योजना–सेवा का नाम	लाभ	पात्रता /लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण। **(संशोधित)**	01 वर्षीय कोर्स (कम्प्यूटर /एकाउंटिंग/वेब डिजाइनिंग /डिजिटल मार्केटिंग) निःशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा एवं उनके आश्रित, जिनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हों।	योजना के तहत सभी जनपदों में निम्न विषयों में प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं:– (1)डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग अवधि– 01वर्ष। (2)डिप्लोगा इन प्रोफेशनल एकाउंटिंग अवधि – 01 वर्ष (3)वेब डिजाइनिंग और डेवलवमेन्ट अवधि– 01 वर्ष। (4)डिजिटल मार्केटिंग –01वर्ष सर्व प्रथम निदेशक, सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों से कोर्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:– (1)साधारण प्रार्थना पत्र। (2)आधार कार्ड। (3)पूर्व सैनिक पहचान पत्र। (4)डिस्चार्ज बुक। (5)12वीं पास का शैक्षिक प्रमाण पत्र। इसके उपरांत संबधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को नाम उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा संबंधित संस्था आवेदकों को प्रशिक्षण शुरू किये जाने हेतु सूचित करती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता /लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	रोजगार हेतु प्रयोजन	पूर्व सैनिकों एवं उनके विधिक आश्रितों को आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पद हेतु प्रायोजित कर रोजगार उपलब्ध कराना	केवल पूर्व सैनिक (थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना), उनके विधिक आश्रित एवं वीर नारियाँ।	1. सर्वप्रथम योग्य अभ्यर्थी (पूर्व सैनिक एवं उनके विधिक आश्रित) द्वारा उपनल की वेबसाइट www.upnl.co.in में अपने जिले एवं योग्यतानुसार एवं स्थान के अनुसार पद हेतु ऑन लाइन आवेदन/नामांकन फार्म (enrollment form) भरा जाता है। 2. विभागों से जिलेवार प्राप्त पदों की मांग (संख्या) एवं पदों हेतु निर्धारित/दी गई अर्हता/योग्यता के आधार पर, उपनल द्वारा वेबसाइट में दाखिल (enrolled) अभ्यर्थियों के नाम (जो पद हेतु संबंधित अर्हता/योग्यता रखते है) को उनके जिलेवार एव नामांकन के वरीयताक्रम के आधार पर, संबंधित विभाग को चयन हेतु प्रेषित किये जाते हैं। 3. उपनल द्वारा विभाग से प्राप्त मांग – 01(एक) रिक्त पद के सापेक्ष में 06 (छः) enrolled अभ्यर्थियो के नाम संबंधित विभाग को चयन हेतु प्रेषित किये जाते है। 4. विभाग द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों का, विभाग की नियमावली के अनुसार चयन कर उपनल को सूचित किया जाता है।
2.	कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान।	उपनल कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर रू0 1,00,000/– (एक लाख) की अनुग्रह राशि का भुगतान उपनल निधि से करना ।	प्राप्तकर्ता, मृतक (उपनल कार्मिक) का विधिक आश्रित होना चाहिए जिसके संदर्भ में अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु सेवाकाल के दौरान नामांकन किया गया हो।	किसी भी उपनल कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, आश्रित द्वारा आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजो के साथ उपनल, मुख्यालय कार्यालय मे यथाशीघ्र प्रेषित किया जायेगाः– (1)कार्मिक का मृत्यु प्रमाण पत्र। (2)संलग्न प्रारूप के अनुसार मृतक कार्मिक के विभाग से सेवा प्रमाण पत्र (service Certificate) । (3)आश्रित का आधार कार्ड। (4) आश्रित का बैक खाता विवरण (पासबुक की छायाप्रति)। (5) आश्रित का फोटोग्राफ। (6)परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतिलिपि। (7) परिवार रजिस्टर में उल्लेखित अन्य आश्रितों द्वारा 10 रूपये के एफिडेविट पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि पूर्व में उन्हें अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है।

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
01	पालना घर (क्रैच)	कामकाजी दम्पतियों के बच्चों हेतु पालना घर संचालित है। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों की दिन भर देखभाल की सुविधा। योजना अंतर्गत योजना के लाभ हेतु निम्नानुसार धनराशि ली जाती है :– **बीपीएल परिवार हेतु** – 20 रू0 प्रति बच्चा प्रतिमाह। रू0 12000 / – से कम आय के परिवार हेतु–100 / –रू0 प्रति बच्चा प्रतिमाह। रू0 12000 / – से ऊपर आय के परिवार हेतु–200 / –रू0 प्रति बच्चा प्रतिमाह।	6 माह से 6 वर्ष के बच्चें।	प्रत्येक जनपद में स्थापित है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 पर दिनांक– 09 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की गयी तथा उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–28, सन्–2005 के तहत् महिला आयोग का गठन किया गया है। **(उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या–616/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 देहरादून, 11 नवम्बर, 2005 धारा–1 की उपधारा (3) के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन किया गया)**

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का कार्यः–

1. आयोग में पीड़ित महिलाओं द्वारा डाक, ई–मेल एवं व्हाट्स–एप के माध्यम से शिकायती प्रार्थना–पत्र प्रेषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार–पत्र/मीड़िया के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आयी घटनाओं पर त्वरित स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाती है।
2. महिलाओं को घरेलू, मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न से मुक्ति के लिए पीड़ित महिला व उसके द्वारा की गयी शिकायत में नामित विपक्षीगणों को बुलाकर, उनके मध्य काउंसिलिंग करवाकर उन्हें उचित परामर्श दिया जाता है तथा लगातार वार्ता कर उत्पीड़न के केस अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है।

3. अगर किसी भी जनपद से किसी महिला/बालिका के साथ छेड़छाड़ या हत्या का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो उस पर आयोग द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित घटना स्थलीय जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से फोन द्वारा सम्पर्क करते हुए जानकारी ली जाती है तथा उन्हें त्वरित जाँच/कार्यवाही करने सम्बन्धी निर्देश भी जारी किये जाते हैं। जांच व सुनवाई के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।
4. किसी सरकारी या गैर–सरकारी विभाग में, यदि कोई महिला कार्यरत है, तथा उसका कार्यस्थल पर शोषण होने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है, तो, उस पर आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए, उस विभाग की **कार्यस्थल पर महिलाओं के विरूद्व यौन–उत्पीडन निवारण समिति (POSH)** द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, उससे सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जाती है एवं आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग प्रक्रिया भी सम्पन्न कराई जाती है।
5. आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त दूरस्थ जनपदों में कानूनी जागरूकता शिविर लगाये जाते हैं, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 दहेज निषेध अधिनियम–1961, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम–2013, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 इत्यादि की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त मानव तस्करी रोकने सम्बन्धी शिविर, पोषण अभियान, मासिक–धर्म स्वच्छता शिविर, इत्यादि कार्यक्रम भी प्रत्येक वर्ष आयोजित कराये जाते हैं।
6. आयोग द्वारा राज्य के समस्त जनपदों के **पुलिस थाना, चौकी, वन स्टॉप सैण्टर, नारी–निकेतन, जिला कारागार, अस्पतालों में बने महिला प्रसूति गृह इत्यादि** का औचक निरीक्षण किया जाता है, ताकि वहाँ महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं व सुचारू व्यवस्थायें व उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके।
7. आयोग द्वारा असहाय व पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सैण्टर एवं नारी निकेतन भेजने हेतु सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर त्वरित कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश भी जारी किये जाते हैं।
8. आयोग द्वारा पीड़ित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाते हैं।
9. आयोग द्वारा जनपद में संचालित नशा मुक्ति केन्द्र एवं स्पा सैण्टरों में पुलिस की सहायता से औचक निरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।
10. आयोग द्वारा महिला थाना/महिला डैस्क एवं खेल विभाग से सम्बन्धित सेमिनार का आयोजन कराया गया है।

शिकायतों के निवारण प्रक्रियाः– आयोग में लिखित प्रार्थना पत्र डाक/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज की जा सकती है, इसके अतिरिक्त शिकायत दर्ज के लिए अपनी समस्या को निम्न वेबसाइट/ई–मेल पर दर्ज कर सकती/सकते हैं।

PROGRAMM

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनांक 19, जून 2002 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में 01 अध्यक्ष ,02 उपाध्यक्ष एवं 09 सदस्य के पद सृजित है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम –2002 की धारा 9(1) के अनुसार मा0 आयोग के निम्न कृत्य है–

(क) उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ।

(ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षापायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षापायों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिये सिफारिश करना।

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षापायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ड़) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना।

(ज) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना और,

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

(2) सरकार धारा 9(1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगें

(3) आयोग को धारा 9(1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अर्थात्।

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ।

(घ) किसी कार्यालय से कोई लेख अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।

(ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, और,

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

शिकायतों के निवारण प्रक्रियाः–अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति को आयोग के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत यदि कोई शिकायत दर्ज करानी हो, तो, सम्बन्धित व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आयोग जांच कराकर सम्बन्धित विभाग से समस्या का निराकरण करायेगा।

PROGRAMME IMPLEM

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून

PROGRAMME

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुंशी (हाईस्कूल), मौलवी (हाईस्कूल) एवं आलिम (इण्टरमीडिएट) की परीक्षाऐं संचालित करना।	मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र–छात्राऐं उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होकर समाज की मुख्यधारा से जुडेंगे तथा अन्य बोर्ड के छात्र/छात्राओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रहित में अपना योगदान देगें।	मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राऐं	प्रत्येक वर्ष उक्त परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं में मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राऐं आवेदन करते है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन रखी गयी है।
2.	तहतनिया (कक्षा 1 से 5) फौकानिया (कक्षा 6 से 8) मुंशी/मौलवी (हाईस्कूल) तथा आलिम (इण्टरमीडिएट) आदि की मान्यता प्रदान करना ।	प्रदेश के मदरसों को मान्यता प्रदान की जाती है, जिससे मदरसें राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।	(गाईडलाईन के अनुसार)	मान्यता हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन दोनों रखी गयी है। बोर्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा मान्यता के लिए आये आवेदनों का जांचोपरान्त चयन किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

क्र.सं	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वक्फ मॉडर्न मदरसा।	राज्य में निवासरत निर्धन / यतीम / सामान्य श्रेणी के बच्चों को कक्षा–UKG से कक्षा–10वीं तक दीनी / आधुनिक शिक्षा (NCRT पाठ्यक्रम) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना।	राज्य में निवासरत निर्धन / यतीम / सामान्य श्रेणी के परिवारों के बच्चे, जो शुल्क देने में असमर्थ है।	राज्य में स्थित BPL परिवार के निर्धन बच्चे या अन्य सामान्य श्रेणी के बच्चे, जो शुल्क देने में असमर्थ है, वह ऑफलाईन आवेदन कर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते है एवं निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर स्क्रूटनी कर पात्र बच्चों को निःशुल्क दीनी / आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी।

PROGRAMME IMPLEM

****

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)

क्र0 सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	मोबाईल लर्निंग सेन्टर	निमार्ण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु मोबाईल लर्निंग स्कूल का संचालन।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे।	निर्माण स्थलो में कार्य कर रहे श्रमिकों के बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु निर्माण स्थलों पर जाकर मोबाईल लर्निंग सेन्टर (बस) के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।
02.	चिकित्सा जॉच सुविधा	निर्माण श्रमिकों की चिकित्सा जॉच सुविधा।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत चिकित्सा जॉच लाभ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से डोर–टू–डोर (Door to Door) जाकर, कैम्प एवं क्लेकशन सेंटर के माध्यम से चिकित्सा जॉच सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
03.	सामूहिक कन्या विवाह सहायता योजना	रू0 61000 / – आर्थिक सहायता देय होगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रू0 10000 / – प्रति जोड़े की दर से भुगतान आयोजनकर्ता को किया जाएगा तथा वर एवं वधू की पोशाक क्रय हेतु धनराशि रू0 5000 / – प्रत्येक की दर से देय होगी।	पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होगें, सामूहिक विवाह की दशा में विवाह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।	सामूहिक विवाह हेतु आवेदन निर्धारित तिथि के 15 दिन पूर्व किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा– पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। निर्माण श्रमिकों की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण सामूहिक विवाह योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा। आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल लिविंग सार्टिफिकेट / परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / सभासद / पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो। आवेदक द्वारा इस संबंध में किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न ली गयी हो, का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

WFC (श्रमिक सुविधा केन्द्र) स्थान और पता (गढवाल क्षेत्र)—16			
क0स0	जिला (District)	स्थान (Location)	WFC सेन्टर का पता (Centre Address)
1.	**देहरादून**	अजबपुर (दीपनगर)—2	दून यूनिर्वसिटी रोड, नियर नारी निकेतन, देहरादून—248121
		मोहकमपुर	निकट पोस्ट ऑफिस रोड, मोहकमपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड—248005
		विकासनगर	विकासनगर बाड़वाला, देहरादून
		ऋषिकेश	WFC कोर्ट कम्पाउण्ड, ऋषिकेश।
2.	**टिहरी गढवाल**	टिहरी गढवाल	WFC एम0—ब्लॉक, द्वितीय फ्लोर, निकट SBI Bank, नई टिहरी, टिहरी गढवाल—249001
3.	**रूद्रप्रयाग**	रूद्रप्रयाग	कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, भानाभार, रूद्रप्रयाग
4.	**पौड़ी गढवाल**	श्रीनगर	मिनी बी0ओ0सी0डब्लू0 ऑफिस, तिवारी मौहल्ला, निकट बस स्टैण्ड श्रीनगर—246174
		कोटद्वार	WFC मौहल्ला जौनपुर निकट डिग्री कालेज, कोटद्वार—246149
5.	**उत्तरकाशी**	उत्तरकाशी	निकट जिला सहकारी बैंक जोशीयारा, उत्तरकाशी।
		पुरोला	निकट नगर पालिका, पुरोला, उत्तरकाशी
6.	**चमोली**	गोपेश्वर	WFC निकट पेट्रोल पम्प, गोपेश्वर, जिला चमोली—246401
		कर्णप्रयाग	निकट कर्ण, मन्दिर NH Highway कर्णप्रयाग, चमोली।
7.	**हरिद्वार**	हरिद्वार	सुभाषनगर, निकट ज्वालापुर, त्रिमूर्ति मन्दिर, हरिद्वार—249407
		रूड़की	WFC 651/19, गंगा इन्कलेव, मालवीय चौक, रूड़की—247667
		लक्सर	चौधरी अजब सिंह कॉम्प्लेक्स, लक्सर—हरिद्वार

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

WFC (श्रमिक सुविधा केन्द्र) स्थान और पता (कुमॉउ क्षेत्र)–17			
क0स0	जिला (District)	स्थान (Location)	WFC सेन्टर का पता (Centre Address)
1.	**अल्मोड़ा**	अल्मोड़ा	जिला पंचायत परिषद धारा नोला, अल्मोड़ा–263601
		सल्ट	सल्ट मौलखाल, अल्मोड़ा।
2.	**बागेश्वर**	बागेश्वर	WFC बस स्टेशन रोड, गोमती होटल बागेश्वर–263642
3.	**उधमसिंह नगर**	काशीपुर	कार्यालय श्रम विभाग, काशीपुर।
		रूद्रपुर	गांव–जगतपुरा, निकट स्पोर्टस स्टेडियम रूद्रपुर, उधमसिंह नगर–263153
		किच्छा	उत्तरांचल कालोनी, किच्छा, वार्ड न0–8, श्रम विभाग कार्यालय किच्छा।
		खटीमा	नियर पार्वती मण्डप कंजाबाग रोड, खटीमा।
		बाजपुर	निकट महाराजा होटल, बाजपुर।
		गदरपुर	कुल्हा पो0–मझरा आनन्द सिंह, मजहसन, उधमसिंह नगर–263160
4.	**पिथौरागढ़**	पिथौरागढ़	WFC गीता श्याम सदन, सिनेमा लाईन, पुराना NCC ऑफिस, पिथौरागढ़–262501
		धारचूला	सिनेमा लाईन, नियर संग सुन्दरालय, धारचूला।
5.	**चम्पावत**	टनकपुर	WFC श्रम विभाग, भटट् बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, टनकपुर–262309
		चम्पावत	गोरल चौड़ मैदान, निकट सी0एम0 कैम्प, चम्पावत
6.	**नैनीताल**	हल्द्वानी	श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम भवन हल्द्वानी–263139
		लालकुऑ	निकट एवरग्रिन स्कूल, तुलारामपुर, मोटाहल्दू, लालकुऑ, हल्द्वानी
		रामपुर	शिवलालपुर चुंगी, निकट बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर।
		खनस्यूं	निकट पुलिस चौकी, खनस्यूं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

विधिक माप विज्ञान विभाग

क्र0 सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया तथा चयन प्रक्रिया।
1.	बाट–माप तथा तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ता का लाइसेन्स।	स्वरोजगार के रूप में व्यापारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बाट–माप तथा तौल यंत्रों का	(अ) आई0टी0आई0 (इलेक्ट्रॉनिक्स) अथवा समकक्ष तथा 02 वर्ष का अनुभव। या (ब) डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इन्स्ट्रमेटेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष तथा 01 वर्ष का अनुभव। या	आवेदक–www.Investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। (2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा/रजिस्ट्री की प्रति), शैक्षिक योग्यता व अनुभव का

		मरम्मत कर, मरम्मत शुल्क एवं निर्धारित सरकारी शुल्क प्राप्त कर आजीविका सुनिश्चित करना।	(स) भौतिक विज्ञान सहित बी0एस0सी0 तथा एक वर्ष का अनुभव। या (द) बी0ई0 / बी0टैक (इलेक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रमेटेशन अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज, जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं, को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (रु0–100) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात स्वीकर्ता द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
2.	बाट–माप तथा तौल यंत्रों के विक्रेता का लाइसेन्स।	स्वरोजगार के रूप में बाट–माप तथा तौल यंत्रों का विक्रय कर आजीविका सुनिश्चित करना।	पात्रता निर्धारित नहीं है।	आवेदक–www.Investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। (2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा / रजिस्ट्री की प्रति), बाट माप तथा तौल यंत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (रुपये–100) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात् स्वीकर्ता द्वारा ऑनलाईन, लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
3.	बाट–माप तथा तौल यंत्रों के विनिर्माता का लाइसेन्स।	स्वरोजगार के रूप में बाट माप तथा तौल यंत्रों का विनिर्माण कर आजीविका सुनिश्चित करना।	पात्रता निर्धारित नहीं है।	आवेदक, www.Investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। 2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा / रजिस्ट्री की प्रति), बाट माप तथा तौल यंत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त Model Approval का प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (रु0–500) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात् स्वीकर्ता द्वारा ऑनलाइन, लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग

राष्ट्रीय खाद्य सूरक्षा अधिनियम 2013 की धारा–16 के तहत राज्य सरकार द्वारा राट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड का गठन किया गया है।

कार्य–उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विभित्र धाराओं के अंतर्गत किए गए प्राविधानों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों के माध्यम से पोषण से संबंधित योजनाओं यथा खाद्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उचित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुंए लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना, मध्याह्न भोजन योजना/पी0 एम0 पोषण योजना, जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में दोपहर का पका पकाया भोजन पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती धात्रियों एवं पात्र बच्चों को उचित पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है, जिसके लिए आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य/मण्डल/जिला स्तर के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठकें/स्थलीय निरीक्षण किया जाता है एवं निरीक्षण के दौरान पायी जानी वाली कमियों/खामियों को तत्काल दूर करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आयोग द्वारा शिकायती टोल फ्री न0 18001804190, दूरभाष न0 0135–2669420 एवं ईमेल– uafoodcommission@gmail.com जारी किया गया है। आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित विभिन्न माध्यमों यथा टोल फ्री नम्बर, दूरभाष, ईमेल, डाक, शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में स्वंय उपस्थित होकर अथवा स्वतः संज्ञान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आयोग में परिवाद के रूप मे दर्ज कर कार्यवाही करते हुए शिकायत का निस्तारण किया जाता है। शिकायत के निस्तारण के दौरान प्रतिवादी के दोषी पाये जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 33 के तहत अर्थदण्ड भी आरोपित किया जाता है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड

उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना की गई है, जिसके तहत् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नई दिल्ली में व प्रत्येक राज्य की राजधानी में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में **'राष्ट्रीय आयोग'**, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में **'राज्य आयोग'** एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को 'जिला आयोग' के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की गयी है। राज्य आयोग एवं जिला आयोग की स्थापना संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एक अर्द्ध न्यायिक तंत्र है। इनमें उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं में कमी के आधार पर वाद दायर किये जाते हैं, जिनका गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है। उपभोक्ता वाद/शिकायत के मूल्यांकन के अनुसार जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग में नियत शुल्क का भुगतान करके उपभोक्ता वाद दायर करने की निर्धारित प्रक्रिया/नियम के अनुसार उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया जा सकता है। पांच लाख तक के मूल्यांकन के उपभोक्ता परिवाद पर शुल्क नहीं लगता है।

प्रदेश में राज्य आयोग/जिला आयोगों की स्थापनाः–उत्तराखण्ड में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना वर्ष 2002 में हुई है। जिला देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधमसिंह नगर में जिला आयोग पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के समय से स्थापित हैं। जिला रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर में जिला आयोग का गठन वर्ष 2002 में किया गया, इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में जिला आयोगों की संख्या 13 है ।

राज्य आयोग/जिला आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यगणों की नियुक्ति का प्रावधानः– उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे,

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नाम विर्देशित उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश– अध्यक्ष
(ख) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिव– सदस्य
(ग) राज्य के मुख्य सचिव के नामित–सदस्य

कार्यः–यदि मामले (परिवाद/शिकायत) का मूल्यांकन 50 लाख रुपये तक है, तो इसे सम्बन्धित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया जा सकता है, यदि यह मूल्यांकन 50 लाख रुपये से अधिक परन्तु 2 करोड़ रुपये तक है, तो, इसे सम्बन्धित राज्य के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया जा सकता है। यदि मूल्यांकन 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो, इसे सीधे माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में दायर किया जा सकता है। वाद/शिकायत का मूल्यांकन धनराशि रूपये पांच लाख से अधिक होने की स्थिति में मूल्यांकन के अनुसार कोई भी व्यक्ति (आवश्यक निर्धारित शुल्क के साथ) व्यक्तिगत रुप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग/राज्य उपभोक्ता आयोग या माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में उपभोक्ता मामला/वाद दायर कर सकता है। यह भी उल्लेख करना है कि जिला आयोग द्वारा पारित आदेश से क्षुब्धं/असंतुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर डिक्रीत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि (Statutory amount) जमा करने के पश्चात् ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कर सकता है। इसी प्रकार राज्य आयोग द्वारा उपभोक्ता परिवाद (Consumer Complaint) में पारित आदेश से क्षुब्ध/असंतुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर डिक्रीत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि (Statutory amount) जमा करने के पश्चात् ऐसे आदेश के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है तथा राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित आदेश से क्षुब्ध/असंतुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय आयोग में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

उपभोक्ता परिवाद एवं अपील का निस्तारण यथासम्भव तीन माह (90 दिन) में किये जाने का प्रावधान है।

शिकायतों के निवारण संबंधी :– वर्तमान में जिला आयोग में ऑन–लाईन E-Daakhil पोर्टल के माध्यम से भी वाद दायर करने की सुविधा है। राज्य उपभोक्ता आयोग उत्तराखण्ड में दिनांक 01.06.2023 से ऑन–लाईन E-Daakhil पोर्टल से वाद दायर करना अनिवार्य है। साथ ही वादों की सुनवाई पक्षकार व अधिवक्तागण Virtual mode से भी कर सकते हैं। वादों का निस्तारण ऑन–लाईन प्रक्रिया से गतिमान है।

PROC

गृह (पुलिस) विभाग, उत्तराखण्ड

साइबर क्राइम

साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन/साईबर थाना प्रदेश में साईबर चुनौतियों से निपटने हेतु अग्रणीय पुलिस बल है, वर्तमान में एसटीएफ के अधीन साईबर के दो थाने है, जो गढ़वाल व कुमायूँ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होने वाले साइबर अपराधों के विरुद्ध निरोधात्मक/विवेचनात्मक कार्यवाही के साथ—साथ जनपद स्तर पर अभियोगों के अनावरण में भी तकनीकी सहायता प्रदान करते रहते हैं। साईबर अपराधियों द्वारा समय—समय पर नई—नई तकनीक से साईबर अपराधों को कारित किया जाता है, जिस हेतु साईबर थाने द्वारा ही नये अपराधों के करने की चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक एवं नई तकनीक की जानकारी के लिये अनुसंधान किया जाता है, उसके पश्चात् उक्त तकनीक को अपराधों को अंकुश लगाने में प्रयोग किया जाता है ।

वर्तमान में साईबर अपराधियों द्वारा अपराध के नये—नये तरीके अपनाये जा रहे हैं, साथ ही साईबर अपराध के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नयी—नयी तकनीकों का विस्तार हो रहा है, समाज में व्यक्ति की इलेक्ट्रानिक संसाधनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आज की दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इंटरनेट के उपयोग से पूर्ण व सुरक्षित रखे जा रहे है। मोबाईल, कम्प्यूटर, **सोशल मीडिया** आदि ने आपसी सम्पर्कों के साथ—साथ आर्थिक लेनदेन को भी बहुत ही सुगम बना दिया है। वर्तमान सरकारें भी साईबर निर्भरता को बढ़ावा दे रही हैं। जहां एक ओर आम आदमी द्वारा घर बैठे दुनिया में कहीं भी पल

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

भर में बैंकिंग, ई–शॉपिंग के माध्यम से अपने रोजमर्रा के कार्य किये जा रहे है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों की भी पहुंच आम आदमी, सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठान/संस्थान तक बहुत ही आसान हो गयी है, जिसका फायदा उठाते हुये साईबर की जानकारी रखने वाले अपराधी देश–विदेश के सुदूर कोनों से भी उस व्यक्ति व संस्थानों की गोपनीय जानकारियां लेकर प्रतिरूपण करते हुये आर्थिक व सामाजिक साईबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में साईबर क्राईम पुलिस पर यह विशेष जिम्मेदारी आ जाती है कि वह ऐसे साईबर अपराध एवं धोखाधड़ी की जानकारी रखते हुये साईबर अपराधियों तक पहुंचकर ऐसे नित नये तरीकों से हो रहे साईबर अपराधों की रोकथाम व अनावरण करे।

वर्तमान में साईबर अपराधियों द्वारा साईबर अपराध हेतु मुख्य रूप से अपनाई जा रही Modus Operandi-

1. QR Code स्कैन फ्रॉड,
2. ऑनलाईन जॉब/टास्क फ्रॉड,
3. OLX एप फ्रॉड,
4. फेक कस्टमर केयर/गुगल हैल्प लाईन फ्रॉड,
5. के0वाई0सी0/ईनाम/लॉटरी फ्रॉड,
6. अनऑथराइजड एक्सेस/OTP फ्रॉड,
7. ऑनलाईन ट्रेडिंग/इनवेस्टमेंट फ्रॉड,
8. इन्श्योरेंस पॉलिसी/लोन एप फ्रॉड,
9. विदेश से गिफ्ट भेजने/विदेशी मुद्रा का लालच देकर,
10. मैट्रोमोनियल फ्रॉड,
11. **कोरियर पार्सल/AI फ्रॉड,**
12. डिजीटल ऐरेस्ट/हाउस ऐरेस्ट,
13. Black Male/Sextortion]
14. Fake ID/Defame इत्यादि।

"उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयास"

1– गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश–निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य, देहरादून मे साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर साईबर क्राईम सम्बन्धित सहायता हेतु **साईबर हेल्प लाईन 1930** का गठन किया गया है। जिसमे कुशल कर्मियों का चयन कर 24×7 कार्य करते हुये प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु रिस्पॉन्स टाइम निर्धारित कर, त्वरित कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है।

2– एस0टी0एफ0/साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर साइबर क्राइम प्रशिक्षण का विशेष अभियान चलाकर उत्तराखण्ड़ पुलिस के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी गण को प्रशिक्षित किया गया है।

3– साइबर अपराधियों द्वारा नये–नये तरीके अपनाकर अपराध कारित किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु Modus Operendi के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर कार्मिकों को समय–समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

4– एस0टी0एफ0/साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड द्वारा आम जनता को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाने एवं जागरुक करने हेतु नियमित रुप से साइबर सुरक्षा एवं जागरुकता कार्यक्रम चलाकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल आदि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, अन्य विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों एवं विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों, वर्करों को जागरुक/प्रशिक्षित किया जा रहा है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

5– इसके अतिरिक्त साइबर जागरुकता एवं साइबर अपराध की रोकथाम हेतु फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर सुरक्षा टिप्स साझा किये जा रहे हैं एवं बैनर, होल्डिंग, पैम्फलेट्स आदि विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री के माध्यम से भी साईबर जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

महिला/बच्चों की सुरक्षा हेतु किये जा रहे कार्य

महिलाओं/बालिकाओं के प्रति घटित अपराधों की रोकथाम एवं घटना घटित होने पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना **"गौरा शक्ति योजना"** लागू की गयी है, इसके अन्तर्गत प्रदेश में एक त्रिस्तरीय सहायता तंत्र, थाना स्तर पर महिला डेस्क, जनपद स्तर पर महिला सुरक्षा हेल्प लाईन एवं महिला काउंसिलिंग सेल तथा राज्य स्तर पर राज्य महिला सुरक्षा हेल्प लाईन का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उक्त त्रिस्तरीय तंत्र को संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ करने, कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने, महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उन्हें आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर पुलिस अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के अन्तर्गत गौरा शक्ति योजना का क्रियान्वयन

1– प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क के अर्न्तगत QRT (Quick Reaction Team) का गठन किया गया है। थाने पर महिला सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर QRT द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर first responder की भांति कार्य करते हुये, पीड़िता को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है।

2– महिला अपराधों के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों Hot Spot का चिन्हिकरण, Hot Spot में सीसीटीवी/लाईट की व्यवस्था एवं Hot Spot की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

3– स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थानों के खुलने एवं बन्द होने के समय चीता/महिला चीता/सी0पी0यू0 द्वारा नियमित पेट्रोलिंग ।

4– प्रभारी महिला हेल्प डेस्क एवं अन्य चार आरक्षियों की एक टीम **"टीम गौरा"** का गठन किया गया है, जो समस्त छात्र–छात्राओं को सुरक्षा/ड्रग्स/यातायात नियम/साईबर अपराध आदि के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसको और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से लगभग 3,000 जागरूक पुस्तिका जनपदों को वितरित की गयी है।

5– दिनांक 20 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक सभी जनपदों से **"टीम गौरा"** में नियुक्त कुल 35 महिला कर्मियों को Self Defense Instructor Course (Level-I) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है इसी क्रम में इन्ही महिला कार्मिकों को Level-II प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है। इन प्रशिक्षित महिला पुलिस कार्मिकों द्वारा जनपदों में नियमित रूप से छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु टेक्निक सिखाये जाने के लिए स्कूल/कॉलेज आदि में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत् उत्तराखण्ड पुलिस एप के अन्तर्गत **"गौरा शक्ति मॉड्यूल"** बनाया गया है, जिसमें पंजीकरण के पश्चात् पंजीकरणकर्ता सम्बन्धित थाने की Mapped Women Police Officer के साथ वन–टू–वन सम्पर्क में रहती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत एस0ओ0पी0 तैयार कर सर्वसम्बन्धित को मुख्यालय स्तर से प्रशिक्षित भी किया गया है। समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों को एक पृथक से मो0नं0 भी आबंटित किया गया है। इस एप के माध्यम से महिलायें आसानी से ऑनलाईन शिकायत भी दर्ज करा रही है।

महिलाओं/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराध की सूचना अथवा उनकी शिकायत आसानी से दर्ज किये जाने हेतु पुलिस विभाग द्वारा 24×7 निम्नलिखित प्लेटफार्म उपलब्ध कराये गये हैः–

1– डायल 112, जिसमें 24×7 प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी नियुक्त।

2– पुलिस मुख्यालय स्तर पर Whatsapp No- 9411112780

3– प्रत्येक थाने पर **''महिला हेल्प डेस्क"** ।

4– Uttarakhand Police App "Gaura Shakti Module"/SOS

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

5– थाना / चौकी।

राज्य में प्रत्येक थाना महिला फ्रेंडली बनाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक थाने पर कम से कम 01 महिला उपनिरीक्षक एवं 04 महिला आरक्षी की तैनाती की गयी है।

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 के तहत प्रतिकर सहायता धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला पीड़ितों हेतु उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित / उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 लागू की गयी है।

अपराध पीड़ितों को उपरोक्त दोनों ही योजनाओं के अर्न्तगत प्रतिकर धनराशि भुगतान किये जाने हेतु पीड़ितों को सहयोग प्रदान करने एवं आवश्यकतानुरूप सम्बन्धित विभागों से समन्वय किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के दृष्टिगत महिला यौन अपराधों की विवेचना महिला अधिकारी द्वारा ही की जाती है। महिलाओं के प्रति घटित यौन अपराधों में गुणवत्तात्मक विवेचना हेतु मुख्यालय स्तर से विस्तृत एस0ओ0पी0 एवं निर्देश से सम्बन्धित पुस्तिका प्रकाशित कर समस्त महिला विवेचकों को आवंटित की गयी है। महिलाओं के प्रति घटित यौन अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के उद्देश्य से जनपदों को आवश्यकतानुरूप Sexual Assault Evidence Collection Kits (SAEC Kits) उपलब्ध करायी जा रही है।

बलात्संग एवं बलात्संग के साथ पोक्सो के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जा रहा है। ITSSO Portal के अनुसार प्रदेश का बलात्संग एवं बलात्संग के साथ पोक्सो अधि0 के अभियोगों का 02 माह में निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है।

प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में **"विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)"** एवं प्रत्येक थाने पर **बाल कल्याण पुलिस अधिकारी** (CWPO) की नियुक्ति की गयी है।

प्रत्येक जनपद में बाल मित्र थाना स्थापित किये गये है।

भिक्षावृत्ति उन्मूलन आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण

गुमशुदा बच्चों, महिला व पुरुषों की तलाश हेतु दिनांक 01–05–2024 से दिनांक 30–06–2024 तक **"ऑपरेशन स्माइल"** अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 465 बच्चे, 391 पुरुष व 514 महिलाओं (कुल 1370 गुमशुदा) को बरामद किया गया। **"ऑपरेशन स्माइल"** अभियान में वर्ष 2015 से अब तक कुल 5981 गुमशुदाओं को बरामद किया गया।

बच्चों द्वारा की जा रही अथवा करायी जा रही भिक्षावृत्ति, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, बच्चों को अपराध में संलिप्त होने से रोकने एवं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने हेतु दिनांक 01–03–2024 से दिनांक 31–03–2024 तक **"ऑपरेशन मुक्ति"** अभियान चलाया गया, जिसमें 892 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा 378 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया गया। **"ऑपरेशन मुक्ति"** अभियान में वर्ष 2017 से कुल 8562 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा कुल 3981 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया गया। प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपद में **"भिक्षावृत्ति नियंत्रण यूनिट"** गठित की गयी है।

ड्रग्स के खिलाफ अभियान

नशामुक्ति एक महत्वपूर्ण मानविक उद्देश्य है, जिसका मकसद व्यक्ति और समाज को नशे की बुराई से मुक्त करना है। नशा मुक्ति के अर्थ, महत्व, कारण और उपायों में **"नशा मुक्ति का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समाज को नशे से मुक्त करना, अर्थात नशे का सेवन करने से बचाव या उसकी नशे को दूर करने का प्रयास है और साथ ही साथ व्यक्ति या समाज की स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली को प्राथमिकता देना और नशे के हानिकारक प्रभावों से बचाव करना"** होता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

नशा मुक्ति का महत्व न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन के लिए है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नशे का सेवन समाज में अपराध, गरीबी और परिवारों के टूटने का प्रमुख वजह है। नशे के कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करना है और उनके सम्बन्धों को भी क्षति पहुँचाता है। नशामुक्ति के उपायों में शिक्षा, सशक्तिकरण और चिकित्सा सहायता शामिल होती है। समाज में जागरूकता फैलाने और नशे के सेवन को रोकने के लिए कई प्रमुख पहलुओं पर काम किया जाना होगा। नशामुक्ति हमारे समाज के विकास के लिए आवश्यक है, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम नशे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करें और अपने समाज को नशे के हानिकारक प्रभावों से बचाने में सहयोग करे।

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा दिये मिशन **"ड्रग फ्री देवभूमि 2025"** पर कार्य किये जाने की परिकल्पना को साकार करने हेतु प्रदेश में मादक पदार्थो के उपयोग व प्रचलन को नियन्त्रण में रखे जाने तथा मादक पदार्थो की अवैध तस्करी एवं कारोबार की रोकथाम तथा प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में **"एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)"** का गठन किया गया है।

मादक पदार्थ की तस्करी, बिक्री आदि में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही–

राज्य में मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं की बिक्री, तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध विगत 02 वर्षो (2022 से 2024 माह जुलाई तक) में 5331 अभियोगों में 4481 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 5229.46 कि0ग्राम मादक पदार्थ एवं 1002118 नशीली (संख्यात्मक विवरण) टेबलेट्स/इजेक्शन/कैप्सूल बरामद की गई, जिसकी अनुमानित मूल्य–196 करोड से अधिक है।

आदतन ड्रग तस्करों के विरूद्ध PIT NDPS Act के अन्तर्गत कार्यवाही–

विगत 03 वर्षो में 04 अभियुक्तों के विरूद्ध PIT NDPS Act के अन्तर्गत कार्यवाही की गई

वित्तीय विवेचना (Financial Investigation)–

मादक पदार्थ में सम्बन्धित अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करके अभियुक्त द्वारा अर्जित सम्पत्ति की वित्तीय विवेचना (Financial Investigation) की गई, जिसमें विगत 03 वर्षो में राज्य में 10 अभियोगों में 3 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति सीज/फ्रीज की गई।

नशे के विरूद्ध जन–जागरूकता (Awareness)–

झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों के साथ–2 शहरी/ग्रामीण क्षेत्र शैक्षणिक संस्थान स्कूल/कॉलेजों में छात्र–छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों तथा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। विशेष अभियान के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम 700, गोष्ठी–983, पम्पलेट/पोस्टर–49158, फ्लैक्सी बोर्ड–193, स्टीकर–19306, होल्डिंग–94, बैनर–262, स्कूल/कॉलेजो में जागरूकता कार्यक्रम–393 जिसमें लगभग–48314 छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा इसी अवधि में सम्बन्धित अभिभावकों की उपस्थिति में 1792 व्यक्तियों की कॉउन्सिलिंग भी की गयी।

De-addiction-

राज्य सरकार द्वारा कुमायूँ एवं गढ़वाल परिक्षेत्र में 1–1 नशामुक्ति एवं पुर्नवास केन्द्र स्थापित किये जाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है, जहॉ पर ड्रग एडिक्ट को उचित इलाज हेतु प्रेरित किया जायेगा।

साइबर हेल्प न0 – 1930

महिला अपराध Whatsapp No– 9411112780

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं

उत्तराखंड अग्निशमन सेवा विभाग 9 नवम्बर 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना के साथ ही अस्तित्व में आया। इस विभाग ने आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त अग्निशमन गतिविधियों और जीव–जंतुओं की सुरक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अग्निशमन सलाहकार द्वारा जारी दिनांक 22/10/2003 के आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड अग्निशमन विभाग का नाम बदलकर उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में 30 अग्निशमन केन्द्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 5 अग्निशमन केन्द्रों/इकाइयों की स्थापना के साथ, वर्तमान में उत्तराखण्ड में अग्निशमन केन्द्रों की कुल संख्या 48 अग्निशमन केन्द्रों एवं इकाइयों तक पहुंच गई है।

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग के कार्यः–

(क) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक, आवासीय, शैक्षिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठान, भण्डारण, पावर हाउस, कल कारखानों एवं तेल गैस डिपों में लगी आगों को विभाग में नियुक्त कार्मिकों द्वारा बुझाया जाता है।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वनों में घटित आग की घटनाओं को, विभाग में नियुक्त कार्मिकों द्वारा भी बुझाया जाता है।

(ग) विभिन्न प्रकार की आपदा जैसे दैवीय आपदा, बाढ, भूस्खलन, बादल फटना, वाहन दुर्घटना, नदियों में फंसे व्यक्तियों एवं जीवों को रेस्क्यू से सम्बन्धित कार्य किये जाते है।

(घ) अतिवृष्टि के कारण व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भरे पानी निकासी करना, तेज आंधी से सडकों एवं भवनों के ऊपर गिरे पेड़ों को काटकर हटाते हुए भवन को सुरक्षित करना एवं सड़क मार्ग को यातायात हेतु निर्बाधित किया जाता है।

(ङ) राजभवन, मा० मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, वीवीआईपी वीआईपी मेला, जुलूस प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन आदि में अग्निशमन एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित की जाती है।

(च) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड की घटनाओं में कमी लाने हेतु अग्निशमन कार्मिकों द्वारा अग्निजोखिम युक्त औद्योगिक संस्थानों यथा तेल एवं गैस डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, लीसा डिपो, शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्नि, मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, तथा विभिन्न संस्थानों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन एवं रख–रखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा अग्निसुरक्षा सम्बन्धित जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जाते है।

(छ) प्रदेश के हेलीपेड़/हेलीपोर्टस में हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की लैण्डिंग/टेक–ऑफ में अग्निसुरक्षा ड्यूटी सम्पन्न की जाती है।

सेवा का अधिकार के तहत उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा वर्तमान में जारी सेवाओं का विवरणः–

क्रं. सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	पेट्रोल पम्प/सिनेमा हॉल को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी, थानाध्यक्ष/अग्नि शमन अधिकारी	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	सल्फर की बिकी के लिए लाईसेंस	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	07 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	पटाखों की बिकी के लिए लाईसेंस	प्रभारी थानाध्यक्ष/ अग्निशमन अधिकारी	07 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	अग्निशमन सेवाओं के द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध (1) सार्वजनिक समारोह के आयोजन हेतु (2) अन्य प्रयोजनों हेतु	प्रभारी / थानाध्यक्ष	15 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

1. अन्य कार्य–

- नवसृजित 15 फायर स्टेशनों के अग्निशमन अधिकारी Portal को Live किया गया।
- Single Window Portal पर Online Fire Pendency को Update कर Zero Pendency पर लाया गया।
- अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं में नवसृजित होने वाले फायर स्टेशन में कार्मिक वाहन मशीन के मानक निर्धारण संबंध में शासनादेश संख्या 126741/XX–3/2023–03 (फायर)/2005, टी०सी० दिनांक 01.06.2023 को निर्गत किया गया है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण,उत्तराखण्ड

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकारण, उत्तराखण्ड, देहरादून की स्थापना राज्य पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित 2018) के अन्तर्गत वर्ष 2018 में की गई है। प्राधिकरण में मा0 उच्च न्यायालय के सेनानिवृत्त न्यायाधीश, प्राधिकरण के मा0 अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते है। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल व कुमाऊँ मण्डल गठन किया गया है। जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढ़वाल मण्डल, देहरादून के 07 जनपदों, क्रमशः–हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली तथा कुमाऊँ मण्डल के 06 जनपदों, क्रमशः– नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चम्पावत एवं अल्मोड़ा तक है। इसका क्षेत्राधिकार समस्त उत्तराखण्ड में रहेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यः–

(क) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरूद्व शिकायतों की जांच करेगा।

(ख) प्राधिकरण, उसके द्वारा सीधे प्राप्त अपचार की शिकायतें, आगे कार्यवाही के लिये राज्य सरकार के गृह विभाग को अग्रसारित करेगा। परन्तु यह कि गुमनाम शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(ग) प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरूद्व "गम्भीर अवचार" की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की जांच कर सकेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियाँः–

1– प्राधिकरण मामले में किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है।

2– ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा सीधे जांच की जा रही हो, प्राधिकरण जांच पूर्ण होने पर, अपने निष्कर्ष से राज्य को, सूचित करेगा, जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी होगी। यदि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा किसी अपचारी पुलिस कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित अपचारी द्वारा उसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के अनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

शिकायतकर्ता के अधिकारः–

(1) कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारियों (अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों) के किसी अवचार अथवा गम्भीर अवचार से सम्बन्धित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकता है।

(2) उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गयी है, वह विभागीय जांच की किसी अवस्था में जांच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विषय में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।

(3) शिकायतकर्ता की जांच प्राधिकारी (सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण) द्वारा जांच प्रगति के सम्बन्ध में समय–समय पर सूचित किया जाने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षो के सम्बन्ध में यथा शीघ्र सूचित जायेगा।

शिकायतों के निवारण प्रक्रियाः– आम जनता राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक के माध्यम से/ईमेल के माध्यम से तथा व्हट्सअप के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

कार्यालय का पता – राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 28 पार्क रोड लक्ष्मण चौक निकट दीप लॉज देहरादून।

फोन न0– 0135–2520317, 3558209 **ईमेल–** spcauttarakhand@gmail.com **बेवसाइट –**https://www.spcauttarakhand.com

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, (गढ़वाल) मण्डल, देहरादून में तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, (कुमाऊँ) मण्डल, नैनीताल की स्थापना उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत वर्ष 2018 में की गई है। प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढ़वाल मण्डल के 07 जनपदों, क्रमशः—हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली तक है तथा कुमाऊँ मण्डल के 06 जनपदों, क्रमशः—नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चम्पावत एवं अल्मोड़ा तक है।

कार्यः—प्राधिकरण का गठन जिस उद्देश्य से किया किया गया है, उससे एक ओर पुलिसकर्मी विधि अनुसार कार्य करने को प्रतिबद्ध होते है, वही दूसरी ओर पुलिस के प्रति आम जनता में विश्वास की भावना में भी बढ़ोत्तरी होती है।

शिकायतकर्ता के अधिकारः—पुलिस कॉस्टेबल से लेकर क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपधीक्षक पुलिस कर्मियों के विरूद्ध उनके द्वारा आम जनता के सन्दर्भ में किये गये 'अपचार' तथा 'गम्भीर अपचार' से सम्बन्धित शिकायतें सुनी जाती है। नियमानुसार दोनों पक्षकारों का पक्ष सुनने के उपरान्त प्राधिकरण के स्तर से उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया जाता है। यदि प्राधिकरण स्तर से पारित आदेश में किसी पुलिस कर्मी के विरूद्ध दण्ड की संस्तुति की जाती है, तो उसे शासन के गृह विभाग को भेजा जाता है।

शिकायतों के निवारण प्रक्रियाः— आम जनता जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, गढ़वाल, मण्डल देहरादून/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक के माध्यम से/ईमेल के माध्यम से तथा व्हट्सअप के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून

E-mail-igprisonsuk@gmail.com, ig-jail-uk@nic.in

राज्य की कारागारों में निरूद्ध बंदियों में सुधार, उनके पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु कारागारों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में बंदियों को नियोजित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों द्वारा बंदियों में कार्य कुशलता, आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन का भाव जगाना तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर समाज में पुनः तालमेल बनाकर/पुनर्वास हेतु तैयार करना है। साथ ही बंदियों में अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था को रोकना, उनमें नैतिकता का स्तर बनाए रखना तथा उनमें संस्थागत अनुशासन को प्रोत्साहन देना है। कारागार से रिहाई के बाद बंदियों के लिए रोजगार या स्वरोजगार का अवसर विकसित किया जाता है, जिससे बंदी भविष्य में कारागार से रिहा होने पर अपने परिवार का भरण—पोषण करने में सक्षम हो सके। कारागारों में कौशल विकास कार्यो में नियोजित बंदियों को उचित पारिश्रमिक भी प्रदान किया जा रहा है। कारागारों में बंदियों को कुशल बनाने हेतु विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम यथा सिलाई, कारपेंटरी उद्योग, गमला, दरी, कारपेंटरी उद्योग (वैन्कों यूनिट) लूफा यूनिट, कारागार सेलून, हेण्डलूम यूनिट, फर्नीचर यूनिट, मशरूम, कार्यशाला, वेल्डर, पेन्टर, प्लम्बर, लुहार, कम्प्यूटर संचालन आदि की व्यवस्था प्रचलित है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान देहरादून (भाषा विभाग)

1) उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान—

उत्तराखण्ड में निवास करने वाले साहित्यकार/विद्वान/भाषाविद्वों को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करने एवं साहित्य सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं हिन्दी, उर्दू पंजाबी व लोकभाषा/बोली (गढ़वाली, कुमांउनी, जौनसारी व अन्य बोलियों) के साहित्य हेतु प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान, उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार, उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन पुरस्कार, बाल साहित्य लेखन सम्मान, उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार एवं साहित्यिक पत्र—पत्रिका लेखन पुरस्कार तथा उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदयमान सम्मान प्रदान किया जाता है। जिसमें चयनित साहित्यकारों को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान के लिए राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक को आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक अपनी प्रकाशित पुस्तकों के सभी अंकों की 4—4 प्रतियाँ के साथ जमा करना होता है। उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत 07 प्रकार के पुरस्कार दिये जाने प्रस्तावित हैं—

क्र.स.	सम्मान का नाम	संख्या	सम्मान राशि
1.	उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान	01	5,00,000
2.	उत्तराखण्ड दीर्घ कालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार	06	1,51,000
3.	उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन सम्मान	01	1,51,000
4.	बाल साहित्य लेखन पुरस्कार	01	1,51,000
5.	उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार	07	1,00,000
6.	साहित्यिक पत्र–पत्रिका लेखन पुरस्कार	01	1,00,000
7.	उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदयमान पुरस्कार	04	50,000

(2) हिन्दी दिवस समारोह एवं प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना –

हिन्दी दिवस समारोह पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् ,रामनगर से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में हिन्दी, उर्दू, पंजाबी विषय एवं उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् हरिद्वार द्वारा पूर्वमध्यमा (हाईस्कूल) ,उत्तरमध्यमा (इण्टरमीडिएट) में हिन्दी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं, तथा उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून से हाईस्कूल (मुंशी) में अरबी हाईस्कूल (मौलवी) में फारसी एवं इण्टरमीडिएट (आलिम) के फारसी में सर्वोच्च अंक पाप्त करने छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कृत छात्र/छात्राओं को पुरस्कार के रूप में पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

(3) भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन–

प्रदेश में हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं संवर्द्धन करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन के अंतर्गत प्रथम वर्ग–कक्षा 06 से 08 एवं द्वितीय वर्ग– कक्षा–09 से 12 हेतु राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसमें उत्तराखण्ड में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राएं को स्वरचित विभिन्न विधाओं कविता, निबंध, नाटक, कहानी एवं यात्रा वृतांत आदि लिखकर संस्थान को ई–मेल अथवा डाक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय में जमा किये जाते है। उक्त प्रतियोगिता में प्रत्येक विधा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाते है।

(4) विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान–

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे साहित्यकार जो धनाभाव के कारण अपने साहित्य का प्रकाशन नहीं कर पाते है, ऐसे परिस्थिति में श्रेष्ठ विद्वानों के साहित्य का प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसमें संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना के लिए राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें आवेदन का प्रारूप संलग्न होता है। आवेदक को आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक पाण्डुलिपियों के साथ संस्थान कार्यालय में जमा किया जाना होता है। जिसमें प्राप्त आवेदनों की जांच, उपयोगिता भाषा शैली आदि का गहन अध्ययन कर चयनित पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आंशिक आर्थिक अनुदान हेतु चयनित किया जाता है। प्रकाशन के उपरान्त साहित्यकार द्वारा प्रकाशित 05 प्रतियां संस्थान पुस्तकालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। उक्त योजना के हिन्दी, गढ़वाली व कुमांउनी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु वर्ष –2023 –2024 में 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

समग्र शिक्षा परियोजना, उत्तराखण्ड

समग्र शिक्षा परियोजना

क्र.स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	निपुण भारत मिशन उत्तराखण्ड	राज्य के सभी विद्यालयों में प्रवेश के अनुरूप कक्षा 01 में प्रवेश प्राप्त कर सकते है।	आयुवर्ग 3 से 9 के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की सम्प्राप्ति सुनिश्चित कराना।	निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना है जिससे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के सभी विद्यालयों में प्रवेश के अनुरूप कक्षा 01 में प्रवेश प्राप्त कर सकते है।

02.	रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण	निःशुल्क आत्मरक्षा की तकनीक का प्रशिक्षण।	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं	राज्य के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण (जूडो, करांटे, मार्शल आर्ट एवं बॉक्सिंग) से प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक चयनित विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालिकाएं।
03.	समावेशित शिक्षा	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–1 से कक्षा–12 तक सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु एस्कार्ट सुविधा, गृह आधारित शिक्षा, स्पोर्टस एवं एक्सपोजर विजिट, गर्ल्स स्टाईपैण्ड तथा निःशुल्क उपकरण आदि प्रदान किये जाते है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु चिन्हांकन एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की आवश्यकतानुसार निःशुल्क रूप से सहायक उपकरण प्रदान किये जाते है।	6 से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों को समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है।	शैक्षिक–सत्र प्रारम्भ होने पर विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत विशेष शिक्षकों द्वारा दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है। तद्पोरान्त समीपस्थ विद्यालयों में बच्चे का नामांकन किया जाता है।
04.	सामुदायिक सहभागिता	सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में जन समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु SMC/SMDC का गठन किया जाता है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जन समुदाय को पुरस्कृत तथा प्रशस्ति–प्रत्र प्रदान किये जाते है। सपनों की उड़ान कार्यक्रम द्वारा जन–जन तक नवाचारी कार्यों एवं उत्कृष्ट कार्यों का प्रचार–प्रसार किया जाता है।	SMC/SMDC सदस्यों हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम डायट द्वारा सम्पन्न किया जाता है। सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म, बैनर, फ्लेक्स, रेडियो के माध्यम से उत्कृष्ट नवाचारी कार्यों का प्रचार–प्रसार किया जाता है।	शैक्षिक–सत्र प्रारम्भ होने पर विद्यालयी स्तर पर SMC/SMDC का गठन किया जाता है, तथा सम्पूर्ण सत्र में SMC/SMDC सदस्यों की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है।
05.	गुणवत्ता एवं नवाचार निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक	प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को लागू करते हैं, के कक्षा 1 से	राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसों, जो राज्य सरकार के पाठ्यक्रम को लागू करते हैं, में अध्ययनरत	कोई चयन प्रक्रिया नहीं है उल्लिखित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जाती है।

AMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		8 तक के बालकों एवं बालिकाओं (All Boys & All Girls) को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती है।	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र–छात्राएँ।	
06.	निःशुल्क गणवेश	राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं (जिसमें सभी वर्ग की बालिकायें, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बालक व बी0पी0एल वर्ग के सामान्य बालक सम्मिलित हैं) को निःशुल्क गणवेश के अन्तर्गत प्रति छात्र ड्रेस के दो सेट DBT/SMC के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते है।	कक्षा 1–8 में अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाएँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बालक व बी0पी0एल0 वर्ग के सामान्य बालक।	कोई चयन प्रक्रिया नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक के अर्हता रखने वाले सभी छात्र–छात्राओं को गणवेश या इससे सम्बन्धित धनराशि दी जाती है।
07.	Maths Wizard & Spelling Genius	भारत सरकार द्वारा AWP-B वर्ष 2023–24 में कक्षा 5 के छात्र–छात्राओं की गणित व अंग्रेजी विषय में रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालय, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर छात्र–छात्राओं हेतु Maths Wizard एवं Spelling Genius प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साहवर्द्धन किया गया।	राजकीय विद्यालयों के कक्षा 5 के छात्र–छात्राएँ	ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से प्रथम, द्वितीय व तृतीय का चयन।
08.	कला उत्सव प्रतियोगिता	कला उत्सव प्रतियोगिता को जनपद स्तर से राज्य स्तर तक क्रियान्वित करने में सहयोग एवं समन्वयन किया गया। वर्ष 2023–24 में राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन जनपद हरिद्वार द्वारा किया गया। 10 विधाओं में बालक व बालिका वर्ग से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल 20 छात्र–छात्राओं द्वारा राज्य की ओर से बालभवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। उत्तराखण्ड राज्य से दो प्रतिभागियों कु0 नीता दुसाद, जनपद बागेश्वर (विधा स्थानीय खेल–खिलौने) एवं परखर जोशी जनपद ऊधमसिंह नगर (विधा वाद्य यंत्र संगीत) द्वारा क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया गया।	कक्षा 9 से 12 के छात्र–छात्राएँ	जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के माध्यम से

IMPLEMENTATION DEPARTMENT

09.	Enhancement of Spoken English Programme	राज्य के सभी जनपदों के कुल 109 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 39000 छात्र—छात्राओं हेतु Enhancement of Spoken English कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया।	109 चयनित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 के 39000 छात्र—छात्राएँ।	नेट कनेक्टिविटी, छात्र—संख्या, आनलॉइन कार्यक्रम हेतु Device की उपलब्धता आदि के आधार पर चयनित 109 विद्यालयों के सभी छात्र—छात्राएँ।
10.	यूथ एवं ईको क्लब	● विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएँ, प्लास्टिक का उपयोग रोकना, किचन—गार्डन, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, कूड़ा—प्रबन्धन, स्वच्छता एवं जल—संरक्षण आदि से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किया गया— **1.** Bagless Day and Environment Friendly Awareness. **2.** Awareness Through Skits and Plays. **3.** Poster makings, Paintings, Slogan writing etc. Competition and "Say No" to Single Use plastic. **4.** Cleaning Drives of the School and Surrounding and Keeping Toilets Usable. **5.** Composting Food Waste in the School. 6.Planting of Trees in Schools.	सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक राजकीय विद्यालय।	कोई चयन प्रक्रिया नहीं सभी विद्यालय सम्मिलित।
11.	विद्या समीक्षा केन्द्र	उत्तराखंड का **''विद्या समीक्षा केंद्र''** केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है। इस योजना के तहत डेटा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांति लायी जा रही है। 1. उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र का प्रारम्भ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में 12 सितम्बर 2023 को किया गया। 2. विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सीखने, शिक्षकों को बेहतर सिखाने और अधिकारियों को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।	समस्त राजकीय विद्यालय, सभी राजकीय विद्यालयों के छात्र—छात्राएँ एवं शिक्षक	कोई चयन प्रक्रिया नहीं सभी विद्यालय सम्मिलित।

ATION DEPARTMENT

		3. विद्या समीक्षा केन्द्र स्विफ्टचैट एप का उपयोग करता है जिसमें हमारे उपयोगकर्ता चैट करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। विद्या समीक्षा केन्द्र के तहत उत्तराखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शिक्षा में बेहतरी के लिए परख कार्यक्रम लाया गया है जिसमें वे साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं एवं स्वमूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण वीडियो प्राप्त करते हुए स्वयं को बेहतर बनाते हैं। 4. उत्तराखण्ड का विद्या समीक्षा केंद्र बस एक डेटा केंद्र नहीं है, यह शिक्षा जगत में आने वाले दूरगामी परिवर्तनों के लिए एक आधार है, जो Daily Attendance, से लेकर Periodic assessment, Digital Home Learning, Remedial Teaching, field monitoring और holistic report card बनाने जैसे कार्यों को स्विफ्टचैट द्वारा आसान बना रहा है। 5. आने वाले समय में विद्या समीक्षा केंद्र में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर, मानव सम्पदा पोर्टल और स्कूल इंस्पेक्शन जैसे आयामों को भी समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।		
12.	सुपर—100 कार्यक्रम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सुपर—100 कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाला एक विशिष्ट कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023—24 में विज्ञान वर्ग के 100 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवायी गई जिसके लिए उच्च स्तरीय कोचिंग संस्थानों से साक्षात्कार एवं अनुभव के आधार पर फैकल्टी का चयन किया गया।	विज्ञान वर्ग के कक्षा 12 के 100 विद्यार्थी (प्रत्येक ब्लॉक से 01 श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र—छात्रा एवं एस0सी0, एस0टी0 व ओबीसी वर्ग से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र/छात्रा।	प्रत्येक ब्लॉक से वर्तमान में कक्षा 12 (विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्रा का चयन किया गया जिनके द्वारा अपने विकासखण्ड में 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

संस्कृत शिक्षा विभाग
(उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम)

क्र. सं	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**संस्कृत छात्र प्रतियोगिता–** 1. संस्कृत नाटक 2. संस्कृत समूहगान 3. संस्कृत समूहनृत्य 4. संस्कृत वाद–विवाद 5. संस्कृत आशुभाषण 6. संस्कृत श्लोकोच्चारण **(संशोधित)**	प्रत्येक स्तर पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की पृथक–पृथक संस्कृत प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। 1 **विकासखण्ड स्तर** पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.300/– एवं अधिकतम रु. 800/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.300/– एवं अधिकतम रु. 500/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 2. **जनपद स्तर** पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.400/– एवं अधिकतम रु. 2000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.400/– एवं अधिकतम रु. 800/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 3. **राज्य स्तर** पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.6000/– एवं अधिकतम रु. 25,000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.2000/– एवं अधिकतम रु. 4000/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राजकीय/अशासकीय/निजी विद्यालय के कनिष्ठ वर्ग में (कक्षा 06 से 10 तक) एवं वरिष्ठ वर्ग में (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर कक्षा तक) अध्ययनरत संस्थागत छात्र व छात्राऐं सम्मिलित होंगी, (किंतु बी. एड. पी–एच.डी. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्र व छात्राओं का प्रतिभाग प्रतिबन्धित है।)	यह प्रतियोगिता साल में एकबार (लगभग सितम्बर–नवम्बर तक) आयोजित होती है। इसका विज्ञापन/अधिसूचना जारी करके सम्बन्धित जनपद संयोजक एवं खण्ड संयोजक को प्रेषित करती है। छात्र/छात्रा का चयन विद्यालय/कॉलेज स्तर पर करने के उपरान्त प्रधानाचार्य की संस्तुति सहित प्रतिभाग हेतु खण्ड शिक्षाधिकारी/ खण्ड संयोजक को प्रस्तुत किया जाता है। 1. **खण्ड स्तरीय** प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल को पुरस्कार राशि दी जाती है। उसके उपरान्त प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। 2. **जनपद स्तरीय** प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल को पुरस्कार राशि दी जाती है। जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी/दल राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं तथा राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार राशि दी जाती है।
2.	अखिलभारतीय	प्रत्येक आमन्त्रित कवि को मानदेय	उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों के	यह आयोजन राष्ट्रीय पर्वों/ राज्यपर्वो के उपलक्ष्य में

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	संस्कृतकवि सम्मेलन **(संशोधित)**	रु.2501/– प्रदान किया जाता है।	15 संस्कृत कवि, जो संस्कृत में काव्य लिखते हों तथा पढ़ सकते हों, को आमन्त्रित किया जाता है।	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा कराया जाता है। देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्यापनरत् शिक्षक जो संस्कृत कवि के रूप में विख्यात हों की सूची तैयार कर कार्यक्रम संयोजक द्वारा प्रस्तावित कवियों की सूची सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। तद्नुसार सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्तुत कवियों को काव्यपाठ हेतु आमन्त्रित किया जाता है।
3.	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान **(संशोधित)**	प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता रू0 5,100/– द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता रू0 4,100/– तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता रू0 3,100/–	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा (उत्तराखण्ड विद्यालयीय शिक्षा परिषद्) में संस्कृत विषय में / इण्टरमीडिएट परीक्षा (उत्तराखण्ड विद्यालयीय शिक्षा परिषद्) में संस्कृत विषय में /पूर्वमध्यमा परीक्षा (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) /उत्तरमध्यमा परीक्षा (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)/ शास्त्री व आचार्य (उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं केन्द्रीय संस्कृत वि.वि., परिसर देवप्रयाग आदि उच्चशिक्षण संस्थाओं के स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्राप्तांको के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता।	अकादमी द्वारा संबंधित बोर्ड के सचिव से पत्राचार करके, संबंधित सत्र के हाईस्कूल व इण्टर परीक्षा में संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र/छात्रा की सूचना प्राप्त की जाती है। अकादमी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव से पत्राचार करके, स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्राप्त की जाती है। सम्मान समारोह आयोजित कर चैक द्वारा भुगतान किया जाता है तथा प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित किया जाता है।
4.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना **(संशोधित)**	कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू0 251/– के अनुसार वार्षिक रू. 3012/– प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक पंजीकृत/ अध्ययनरत संस्थागत 200 छात्र–छात्रायें, जिनके पास अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, वे अर्ह होंगे।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के संस्थागत छात्र एवं छात्रा, जिनके पास जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैक खाता हो, अपने दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।
5.	गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू0 251/– के अनुसार वार्षिक रू. 3012/– प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक के सभी श्रेणी की पंजीकृत/ अध्ययनरत संस्थागत 175 छात्रायें।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी श्रेणी के संस्थागत छात्र एवं छात्रा, जिनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।
6.	शोधग्रन्थ चयन योजना	शोधग्रन्थ के सापेक्ष लेखक को प्रतिपृष्ठ रु. 151/– की मानदेय एवं प्रकाशित ग्रन्थ की 25 प्रतियां निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित प्रामाणिक, समाजोपयोगी उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में शोधग्रन्थ प्रकाशनार्थ आमन्त्रित हैं। देश के किसी भी राज्य के विद्वान् (जो शोधप्रविधि की परिधि में शोधग्रन्थों का लेखन करते हों) अर्ह होंगे।	शोधग्रन्थ चयन नियमावली के आलोक में समाचार पत्रों/वेबसाइड में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। लेखक को आवेदन पत्र के साथ शोधग्रन्थ की 03 प्रतियां तथा शोधग्रन्थ की मौलिकता के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। मूल्यांकन समिति के द्वारा अर्ह शोधग्रन्थ प्रकाशित किया जाता है।
7.	अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन	संस्कृत साहित्य में नये शोध के माध्यम से ज्ञान वृद्धि करना, आदान–प्रदान करना, शोधग्रन्थ लेखन विधा को जानना एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	देश के सभी राज्यों के आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता, स.अ., शिक्षक एवं शोधछात्र जो अध्ययन–अध्यापन एवं अनुसन्धान में लगे हुये हैं, वे प्रतिभाग करते हैं।	शोधकर्ता द्वारा अकादमी की नियमावली के आलोक में आवेदन पत्र एवं निर्धारित विषय में शोधपत्र लिखकर निर्धारित तिथि तक ई–मेल के माध्यम प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है तथा शोधपत्र मूल्यांकन समिति के द्वारा जिनके शोधपत्र अर्ह किये जाते हैं, उनको आमन्त्रित किया जाता है।
8.	अखिल भारतीय वेद सम्मेलन एवं अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु सम्मेलन	वैदिक साहित्य एवं ज्योतिष व वास्तु के सूक्ष्म ज्ञान को समझना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शास्त्रों की व्याख्या करना, ज्ञान का आदान–प्रदान करना तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	वेद, ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र के अध्ययन, अध्यापन, प्रचार–प्रसार एवं अनुसन्धान में लगे हुये विद्वान् सम्बन्धित सम्मेलन के लिए अर्ह होंगे।	सूचना पत्र के आधार पर आवेदन पत्र ई–मेल के माध्यम से जमा करना होता है अथवा संयोजक के दूरभाष पर अपने आने की सूचना देना होता है।
9.	वैदिक गणित पर एकदिवसीय संगोष्ठी	वैदिक गणित के सरल पाठ्यक्रम के संचालन एवं उसकी सरल विधाओं की जानकारी प्राप्त करना।	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं अन्य विभागों के अधिकारी, शिक्षक एवं छात्र प्रतिभाग करेंगे।	संगोष्ठी की तिथि, समय एवं स्थानादि का निर्धारण करने के पश्चात् संयोजक द्वारा आमन्त्रित लोगों की सूची प्रस्तुत की जायेगी, अकादमी सचिव द्वारा पत्र के माध्यम से आमन्त्रित किया जायेगा।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार

विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2023–24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP- 2020 के अनुरूप संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम व उनके शुल्कादि का विवरण:–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता	शिक्षण शुल्क	परीक्षा शुल्क
1.	शास्त्री प्रमाणपत्रम् (Graducate Certificate)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	उत्तरमध्यमा / संस्कृत विषय के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण / प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
2.	शास्त्री उपाख्या (Graducate Diploma)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
3.	शास्त्री / स्नातक (Graducate Degree)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री उपाख्या परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
4.	शास्त्री / स्नातक (Graducate Research)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री / स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
5.	आचार्य / स्नातकोत्तर (Post Graduate)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री / स्नातक शोध परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र

विकल्पाधारित प्रणाली (सी.बी.सी.एस.)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता	शिक्षण शुल्क	परीक्षा शुल्क
1.	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	द्विवर्षीय	–	स्नातक उपाधि (संरकृतेन सह)	12,050 प्रथम वर्ष	9,450 द्वितीय वर्ष
2.	आचार्य (एम.ए.)	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योग विज्ञान पत्रकारिता जनसंचार शिक्षाशास्त्र इतिहास हिन्दी	स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि	10000 10000 1200 1200 1200	1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र 500 प्रतिसत्र 500 प्रतिसत्र 500 प्रतिसत्र
3.	पी.जी. डिप्लोगा	एकवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योग विज्ञान ज्योतिष वास्तुशास्त्र कर्मकाण्ड पौरोहित्य	स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि	10000 10000 10000 10000 10000	1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

			कम्प्यूटर एप्लीकेशन	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
4.	प्रमाण पत्र	षाण्मासिक	योग विज्ञान कम्प्यूटर एप्लीकेशन संस्कृतम कर्मकाण्ड कम्यूनिकेटिव अंग्रेजी पर्यावरण जागरूकता	उत्तर मध्यमा इण्टरमीडिएट समक्षक।	6000 6000 500 500 500 500	600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता
1.	विद्यावारिधि (पीएच.डी)	–	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, हिन्दी, योग विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर 55 प्रतिशत अंक

उक्त सभी पाठ्यक्रम रोजगार परक हैं तथा उक्त सभी पाठ्यक्रमों में ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र भरे जाते हैं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पालीटेक्निक संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों का विवरण :–

पाठ्यक्रम का नाम	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी / आर्किटेक्चर / फार्मेसी / एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0
नियामक परिषद्	➢ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0 – **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली** ➢ डिप्लोमा इन आर्किटैक्चर – **काउंसिल ऑफ आर्किटैक्चर** ➢ डिप्लोमा इन फार्मेसी – **फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया**
पाठ्यक्रम अवधि	➢ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / डिप्लोमा इन आर्किटैक्चर – **03 वर्ष** ➢ डिप्लोमा इन फार्मेसी / एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0 – **02 वर्ष**
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षिक सत्र हेतु आयोजित **संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स**
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	➢ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / डिप्लोमा इन आर्किटैक्चर –**हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा।** ➢ डिप्लोमा इन फार्मेसी –**भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान या गणित विषयों के साथ 10+2 परीक्षा (विज्ञान शैक्षणिक स्ट्रीम) में उत्तीर्ण। अथवा भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष कोई अन्य योग्यता।** ➢ माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस (एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0)– **10+2 / इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है।)**
वर्तमान में संचालित संस्थान एवं सीटों का विभाजन	**प्राविधिक शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता का विवरण :–**

INSTITUTE NAME (GOVT POLYTECHNIC)	BRANCH NAME
ALMORA (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30),** ELECTRONICS ENGINEERING,**(30**) INFORMATION TECHNOLOGY **(30)**, MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE **(30)**
DEHRADUN (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(40),** CIVIL ENGINEERING **(30**), DIPLOMA IN ARCHITECTURE **(40),** CLOUD COMPUTING AND BIG DATA **(30),** MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE **(40)**
PITHOWALA	CIVIL ENGINEERING **(40),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(40),** ELECTRONICS ENGINEERING**(40),** INFORMATION TECHNOLOGY **(40),** MECHANICAL ENGINEERING **(40),** MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) **(40),** DIPLOMA IN PHARMACY **(40)**
FREEDOM FIGHTER LATE SH. RAM SINGH BISHT GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING **(40),** ELECTRONICS ENGINEERING **(40),** INFORMATION TECHNOLOGY **(30),** MECHANICAL ENGINEERING **(60),** AUTOMATION AND ROBOTICS **(60),** DIPLOMA IN PHARMACY **(40),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(40),**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		GOVT. POLYTECHNIC GAUCHAR (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING(ENVIRONMENAL & POLL CONTROL **(40),** ELECTRONICS ENGINEERING(SP. IN CONSUMER ELEX **(30)**, INFORMATION TECHNOLOGY **(30),** DIPLOMA IN PHARMACY **(40)**
		GOVT. POLYTECHNIC KASHIPUR (U.S. NAGAR)	AGRICULTURE ENGINEERING **(42),** CHEMICAL ENGINEERING **(40)**, CHEMICAL TECHNOLOGY (PAINT) **(40)**, CIVIL ENGINEERING **(40),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(40),** ELECTRONICS ENGINEERING **(40),** INFORMATION TECHNOLOGY **(30),** MECHANICAL ENGINEERING **(40),** DIPLOMA IN PHARMACY **(40)**
		GOVT. POLYTECHNIC LOHAGHAT (CHAMPAWAT)	CIVIL ENGINEERING **(40)** ELECTRONICS ENGINEERING **(30),** INFORMATION TECHNOLOGY **(30),** MECHANICAL ENGINEERING **(30),** DIPLOMA IN PHARMACY **(40)**
		GOVT. POLYTECHNIC NAINITAL	CIVIL ENGINEERING **(40),** ELECTRICAL ENGINEERING **(40),** ELECTRONICS ENGINEERING **(41),** INFORMATION TECHNOLOGY **(30),** MECHANICAL ENGINEERING **(40),** DIPLOMA IN PHARMACY **(40),** MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE **(30)**
		GOVT. POLYTECHNIC NARENDRA NAGAR (TEHRI GARHWAL)	ELECTRICAL ENGINEERING **(40),** ELECTRONICS ENGINEERING **(30),** INFORMATION TECHNOLOGY **(40),** MECHANICAL ENGINEERING **(30),** CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(30),** GAMING AND ANIMATION **(30),** DIPLOMA IN PHARMACY **(40)**
		GOVT. POLYTECHNIC SHAKTIFARM (U.S. NAGAR)	CHEMICAL ENGINEERING **(40),** ELECTRICAL ENGINEERING **(30),** ELECTRONICS ENGINEERING **(40),** CHEMICAL TECHNOLOGY(RUBBER AND PLASTIC **(30)**
		GOVT. POLYTECHNIC SRINAGAR GARHWAL (PAURI GARHWAL)	CIVIL ENGINEERING **(60),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30),** ELECTRICAL ENGINEERING **(60),** ELECTRONICS ENGINEERING **(60),** INFORMATION TECHNOLOGY **(30),** MECHANICAL ENGINEERING **(60),** MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) **(30),** DIPLOMA IN PHARMACY **(40)**
		S.S.S.S.S.P.U. GOVT. POLYTECHNIC SULT (ALMORA)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30),** ELECTRONICS ENGINEERING **(30),** CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(30)**
		GOVT. POLYTECHNIC UTTARKASHI	CIVIL ENGINEERING **(40),** ELECTRICAL ENGINEERING **(40),** ELECTRONICS ENGINEERING **(30),** DIPLOMA IN PHARMACY **(40)**
		LATE GENRAL BIPIN CHANDRA JOSHI GOVT. RURAL POLYTECHNIC TAKULA(ALMORA)	CIVIL ENGINEERING **(60),** ELECTRONICS ENGINEERING **(40),** DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**
		GOVT. RURAL POLYTECHNIC THALNADI (PAURI GARHWAL)	ELECTRONICS ENGINEERING **(40),** ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**, CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(30)**
		K.L. POLYTECHNIC ROORKEE (HARIDWAR)	CIVIL ENGINEERING **(60),** ELECTRICAL ENGINEERING **(60),** ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING **(60),** MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION) **(60),** ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING **(30),** COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKING **(30)**
		GOVT. POLYTECHNIC KOTABAGH (NAINITAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30),** ELECTRONICS ENGINEERING **(30)**
		GOVT. POLYTECHNIC KOTDWAR (PAURI GARHWAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(40),** ELECTRONICS ENGINEERING **(40)**
		GOVT. POLYTECHNIC GARUR (BAGESHWAR)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, MECHANICAL ENGINEERING **(30)**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		GOVT. POLYTECHNIC KALADHUNGI (NAINITAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(40)**, ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(IND. INTEGRATED) **(40)**, INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING **(40)**, CIVIL ENGINEERING **(30)**	
		GOVT. POLYTECHNIC GANAI GANGOLI (PITHORAGARH)	INFORMATION TECHNOLOGY **(30)**, MECHANICAL ENGINEERING **(30)**, ELECTRICAL ENGINEERING **(20)**	
		GOVT. POLYTECHNIC RATURA (RUDRAPRAYAG)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(40)**, CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(30)**	
		GOVT. POLYTECHNIC GARHI SHYAMPUR (RISHIKESH)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**, CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(60)**, ELECTRICAL ENGINEERING **(40)**	
		GOVT. POLYTECHNIC SAHIYA (DEHRADUN)	MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION) **(40)**	
		GOVT. POLYTECHNIC SATPULI (PAURI)	MECHANICAL ENGINEERING **(30)**	
		GOVT. POLYTECHNIC NEW TEHRI	ELECTRICAL ENGINEERING **(40)**	
		GOVT. POLYTECHNIC GOPESHWAR (CHAMOLI)	INFORMATION TECHNOLOGY **(30)**, MECHANICAL ENGINEERING **(30)**	
		JASWANT SINGH RAWAT GOVT. POLYTECHNIC BIRONKHAL(PAURI)	CIVIL ENGINEERING **(40)**, COMPUTER SC. & ENGINEERING **(60)**	
		GOVT. POLYTECHNIC KANDA (BAGESHWAR)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, MECHANICAL ENGINEERING **(30)**	
		GOVT. POLYTECHNIC CHAUNALIYA (ALMORA)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(60)**, COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**	
		GOVT. POLYTECHNIC AAMWALA (DEHRADUN)	ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**, ELECTRONICS ENGINEERING **(40)**, AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING **(60)**, COMPUTER SCIENCE **(30)**	
		GOVT. POLYTECHNIC SIDCUL HARIDWAR	ELECTRONICS ENGINEERING **(40)**, MECHANICAL ENGINEERING **(30)**, DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**	
		GOVT. POLYTECHNIC PANTNAGAR (U.S. NAGAR)	ELECTRONICS ENGINEERING **(40)** , MECHANICAL ENGINEERING **(30)**	
		GOVT. POLYTECHNIC MALLASALAM (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**	
		GOVT. POLYTECHNIC VIKASNAGAR (DEHRADUN)	ELECTRONICS ENGINEERING **(40)**, DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**, MECHANICAL ENGINEERING **(60)**, CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(60)**	
		GOVT. POLYTECHNIC KANALICHEENA (PITHORAGARH)	ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**	
		GOVT. POLYTECHNIC DIDIHAT PITHORAGARH	AUTOMOBILE ENGINEERING **(30)**, CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(60)**	
		GOVT. POLYTECHNIC JAKHOLI (RUDRAPRAYAG)	INFORMATION TECHNOLOGY **(30)**, CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(60)**	

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

SATYANAND DIMRI GOVT. POLYTECHNIC BARKOT(UTTARKASHI)	CIVIL ENGINEERING **(60),** INFORMATION TECHNOLOGY **(30)**
GOVT. POLYTECHNIC HINDOLAKHAL (TEHRI)	DIPLOMA IN PHARMACY **(60),** MECHANICAL ENGINEERING **(30)**
GOVT. POLYTECHNIC MUNAKOT (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING **(54)**
GOVT. POLYTECHNIC KAPKOT (BAGESHWAR)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(30)**
GOVT. POLYTECHNIC TANAKPUR (CHAMPAWAT)	CIVIL ENGINEERING **(30),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**
GOVT. POLYTECHNIC KHATIMA (U.S. NAGAR)	CIVIL ENGINEERING **(54),** ELECTRICAL ENGINEERING **(54),** INFORMATION TECHNOLOGY **(60),** DIPLOMA IN PHARMACY **(60),**
GOVT. POLYTECHNIC KULSARI (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING **(30),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**
GOVT. POLYTECHNIC PRATAPNAGAR (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING **(60)** , DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**
GOVT. POLYTECHNIC DANYA (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
GOVT. POLTYECHNIC GAJA (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, ELECTRICAL ENGINEERING **(30),** MECHANICAL ENGINEERING **(30)**
HARISHCHANDRA GOVT. POLYTECHNIC BHALASWAGAJ (HARIDWAR)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30),** MECHANICAL ENGINEERING **(30),** DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**
GOVT. POLYTECHNIC BAZPUR (U.S. NAGAR)	CIVIL ENGINEERING **(54),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30),** MECHANICAL ENGINEERING **(54),** DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**
GOVT. POLYTECHNIC JAKHNIDHAR (TEHRI)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**
GOVT. POLYTECHNIC GAIRSAIN (CHAMOLI)	ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
GOVT. POLYTECHNIC PIRUMDARA RAMNAGAR (NAINITAL)	COMPUTER SCIENCE **(30),** ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
GOVT. POLYTECHNIC QUANSI (DEHRADUN)	CIVIL ENGINEERING **(30),** ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
GOVT. POLYTECHNIC PAURI	MECHANICAL ENGINEERING **(60)**
GOVT. POLYTECHNIC BAANS (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING **(30),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(60)**
GOVT. POLYTECHNIC BHEEMTAL (NAINITAL)	CIVIL ENGINEERING **(30),** COMPUTER SCIENCE **(30)**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	GOVT. POLYTECHNIC BADECHEENA (ALMORA)	ELECTRICAL ENGINEERING **(30**), MECHANICAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC BACHELIKHAL (TEHRI)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**, MECHANICAL ENGINEERING **(30**), DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**
	GOVT. POLYTECHNIC CHINIYALISAUR (UTTARKASHI)	CIVIL ENGINEERING **(30),** COMPUTER SCIENCE**, (30)**
	GOVT. POLYTECHNIC PIPLI (UTTARKASHI)	ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC CHAMPAWAT	ELECTRICAL ENGINEERING **(30),** ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING **(30),** CLOUD COMPUTING AND BIG DATA **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC CHOPTA (RUDRAPRAYAG)	CIVIL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC PAABO (PAURI)	ELECTRICAL ENGINEERING **(30),** CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC KANDIKHAL (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING **(30),** ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC POKHRI (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING **(30),** ELECTRICAL ENGINEERING **(30),** MECHANICAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC BERINAAG (PITHORAGARH)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(30),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30),** DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**
	GOVT. POLYTECHNIC BANSBAGARH (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING(PUBLIC HEALTH ENGINEERING **(30),** COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC BARAM (PITHORAGARH)	ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
	GAURA DEVI GOVT. POLYTECHNIC JOSHIMATH (CHAMOLI)	ELECTRICAL ENGINEERING **(30),** CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC JAINTI (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING **(30),** COMPUTER SCIENCE **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC RANI POKHRI (DEHRADUN)	ELECTRICAL ENGINEERING **(60),** MECHANICAL ENGINEERING **(60),** CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(60),** ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING **(60)**
शिक्षण शुल्क	शिक्षण शुल्क– ₹8000.00 छात्र निधि शुल्क– ₹5000.00 छात्रावास शुल्क– ₹4000.00 बोर्ड परीक्षा शुल्क राजकीय संस्थान– ₹500.00 बोर्ड परीक्षा शुल्क निजी संस्थान– ₹1000.00	

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान) परीक्षा आवेदन शुल्क– ₹500.00 बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)– ₹200.00 प्रति विषय स्क्रूटनी शुल्क– ₹250.00 प्रति विषय अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)– ₹20.00 (परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)– ₹30.00 पुर्नमूल्यांकन– ₹2000.00 प्रति विषय
आरक्षण व्यवस्था	**उर्ध्वाधर आरक्षण** 1. अनुसूचित जाति– 19 प्रतिशत 2. अनुसूचित जनजाति– 04 प्रतिशत 3. अन्य पिछड़े वर्ग– 14 प्रतिशत 4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 10 प्रतिशत 5. एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार) – प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A, B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3 प्रतिशत जोड़ा जायेगा। **क्षैतिज आरक्षण** 6. स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रितों के लिए– 02 प्रतिशत संस्थागत पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष। 7. भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांग/मृत सैनिकों के आश्रित– 05 प्रतिशत संस्थागत पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष। 8. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए– 04 प्रतिशत 9. महिलाओं के लिए– 30 प्रतिशत (उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है।)
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**मेरिट सूची–** सभी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा, मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्राप्ताकों के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग, यदि समान होता है, तो, उस स्थिति में अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः सम्बंधित अभ्यर्थियों के जन्मतिथि के आधार पर मेरिट, निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो, तो सम्बंधित अभ्यर्थियों के गणित, विज्ञान/रसायन, बायोलॉजी जैसी भी स्थिति के अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी, और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती, तो, सम्बंधित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी।
सम्बद्ध परिषद्	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की (हरिद्वार)
सम्बद्ध परिषद् का पता, ई–मेल आई0डी0	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, सुनहरा रोड़, काशीपुरी, रूड़की (हरिद्वार) Website :-www.ubter.in, www.ubterjeep.co.in E-mail-js.ubte15@gmail.com

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की सूचना

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के कैम्पस संस्थानों एवं समस्त स्वायत्तशासी/निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी जी0बी0पी0यू0ए0टी0 पन्तनगर में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों B.TECH, BHMCT, BALLB, BBALLB, BCA, LLB, M.TECH, MBA, MCA, MHM, LLM, PG DIPLOMA IN CYBER SECURITY के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग द्वारा किये जाते है।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षा (**Qualifying Exam**) तथा अर्हता (**Eligibility**) निम्नवत है:–

SN	COURSE	DURATION	QUALIFYING EXAM / ELIGIBILITY
1	B.TECH. - FIRST YEAR (Biotechnology) (Agriculture Engg)	4 Years	Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics/Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information/Technology/ Biology/ Informatics Practices/Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship as per AICTE Agriculture stream (for Agriculture Engineering)

	(Civil Engg) (CSE) (CHEM ENGG) (EE) (Electronics & Communication Engg) (ME)		Obtained at least 45% marks (40% marks in case of Candidates belonging to reserved category) in the above subjects taken together.
2	BHMCT- FIRST YEAR	4 Years	Passed 10+2 examination Obtained at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying Examination.
3	BALLB-FIRST YEAR	5 Years	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
4	BBALLB-FIRST YEAR	5 Years	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
5	BBA-FIRST YEAR	3 Years	Passed 10+2 examination with a minimum of 45% marks (40% for reserved category) in any stream OR A Pass in diploma in Commercial Practice or equivalent
6	BCA-FIRST YEAR	3 Years	Passed 10+2 examination with a minimum of 45% marks (40% for reserved category) and Mathematics is a compulsory subject in Intermediate. Candidate must have mathematics as a subject in class 10th . candidate who does not have Mathematics as a subject in class 12th must complete a bridge course in Mathematics during the first semester.
7	LLB-FIRST YEAR	3 Years	Graduation in the 10+2+3 pattern from a recognized university with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
8	M.TECH.-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor's Degree or equivalent in the relevant field. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
9	MBA-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
10	MCA-FIRST YEAR	2 Years	Passed B.C.A/ B.Sc. (Computer Science)/ B.Sc. (IT) / B.E. (CSE)/ B.Tech.(CSE) / B.E. (IT) / B.Tech. (IT) or equivalent Degree. OR Passed any graduation degree (e.g.: B.E. / B.Tech. / B.Sc / B.Com. / B.A./ B. Voc./ etc.,) or at Graduation level obtained at least 50% (45% Marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
11	MHM-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor Degree in Hotel Management and Catering Technology/ Hotel Management of minimum 4 years duration or equivalent Degree. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
12	LLM-FIRST YEAR	2 Year	An LL. B Degree (or B.A.LL. B / B.B.A.LL. B / B.COM-LLB, B. TECH-LL. B or any other integrated law graduate degree) or an equivalent examination with a minimum of Fifty percent (50%)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

			of marks or its equivalent grade and 45% in case of candidates belonging to reserved category
13	PG DIPLOMA IN CYBER SECURITY	1 Year	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.

1. आनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://uktech.ac.in पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थी काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें।
2. आनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://uktech.ac.in esa Login-ID/Password बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
3. अभ्यर्थी वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना सम्पूर्ण विवरण ध्यान पूर्वक चेक कर एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को राज्य कोटे की आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण होने की दशा में अभ्यर्थी राज्य कोटे की सामान्य श्रेणी की सीट के लिये ही पात्र होंगे। महिला अभ्यर्थियों को भी महिला सीट में प्रवेश के लिये स्थाई निवास की अनिवार्यता होगी।
5. छात्र आनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समय–समय पर जारी आवश्यक सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए निरन्तर वेबसाईट http://uktech.ac.in पर सम्पर्क करते रहें।
6. आनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को काउंसिलिंग शुल्क (Counseling Fee-Non Refundable) 2000/– प्रवेश काउंसिलिंग पंजीकरण के साथ वेब पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जायेगा।
7. काउंसिलिंग शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा संस्था/ब्रॉच के विकल्प भरने होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में विकल्प भरे जायेंगे उन्हें पुनः द्वितीय अथवा तृतीय चरण की काउंसिलिंग में विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः अभ्यर्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है।
8. प्रथम काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित होती है तो उसके पास निम्नानुसार 3 विकल्प होंगे– 1. Freeze 2. Float 3. Withdraw
9. प्रथम अथवा द्वितीय काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो उस स्थिति में अभ्यर्थी को आगामी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु कोई शुल्क नहीं देना होगा एवं अभ्यर्थी पुनः विकल्प भर सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड

PROG... ENT

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

राज्य के युवाओं की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार/नियोजन की दृष्टि से विकसित किये जाने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास, प्रशिक्षण तथा सेवायोजन द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों की स्थिति निम्नवत् हैः–

प्रशिक्षण संस्थान	गढ़वाल मण्डल	कुमायूं मण्डल	कुल
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	80	73	153
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	70	14	84
योग	**150**	**87**	**237**

प्रवेश प्रक्रिया एवं व्यवसायों का विवरणः–राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मुख्यतः इंजीनियरिंग एवं नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश किये जाते हैं। वर्ष 2020 से प्रवेश परीक्षा के स्थान पर राज्य में प्रथम बार प्रवेश की प्रक्रिया राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कांउसिलिंग द्वारा सम्पादित की गई थी, जिसमें आवेदन पत्र, शुल्क, विकल्प भरना, सस्थान/व्यवसाय आवंटन, प्रवेश लेना आदि पूर्णतया पोर्टल के माध्यम से किया गया। कोविड 19 के कारण आवागमन में दुविधा के दृष्टिगत प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश हेतु भी अपने निकटतम संस्थान में जाने तथा मूल प्रमाण पत्र सत्यापित कराने की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की गयी। प्रवेश के संबंध में राज्य स्तरीय प्रचलित दैनिकों समाचार पत्रों में विस्तृत विज्ञापन, आकाशवाणी तथा स्थानीय एफ एम रेडियो में जिंगल विज्ञापन, सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टेशन / रेलवे स्टेशन पार्क, सार्वजनिक लाइब्रेरी, मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि में पैम्पलेट वितरण का कार्य सम्पादित किया जाता है। स्थानीय "कॉमन सर्विस सेन्टर" के माध्यम से भी प्रवेश विवरणिका आदि सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त गतिविधियों के कारण संस्थानों में लगभग 76 प्रतिशत सीटों पर विगत सत्र में प्रवेश सम्पन्न किये गये। सस्थानों में प्रवेश हेतु व्यवसायों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है–

1	एन.सी.वी.टी प्रशिक्षार्थियों की कुल स्वीकृत सीटें	14064
2	एन.सी.वी.टी भारत सरकार के अन्तर्गत संचालित राजकीय आई.टी. आई	86
3	एन.सी.वी.टी के अन्तर्गत वर्तमान में प्रशिक्षार्थियों की संख्या	8743
4	राज्य में स्वीकृत इजीनियरिंग एवं नान इजीनियरिंग एन.सी.वी.टी. व्यवसायों की सख्या	35

क्र.स.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय
1	फिटर	दो वर्ष	हाईस्कूल (विज्ञान एवं गणित विषय) उत्त्तीर्ण/ समकक्ष	विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग, करना, औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान।
2	टर्नर	दो वर्ष	–तदैव–	खराद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				आवश्यकतानुसार खराद कर गोल आकार देने का कार्य।
3	मशीनिष्ट	दो वर्ष	–तदैव–	विभिन्न प्रकार की मशीनों का कार्य करके विभिन्न प्रकार के गेयर, फिटिंग, चाबी, धाट काटने सम्बन्धी कार्य।
4	इलैक्ट्राशियन	दो वर्ष	–तदैव–	विद्युत सम्बन्धी कल पुर्जों का ज्ञान मरम्मत, रखरखाव एवं मोटर वाईडिंग आदि सम्बन्धी ज्ञान।
5	इंस्ट्रूमेन्ट मैकनिक	दो वर्ष	–तदैव–	समस्त विद्युतीय चुंबकीय, वायु तापमापी, वायु, दाब और सूक्ष्म मापी यन्त्र का ज्ञान/मरमत।
6	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग टेक्नीशियन	दो वर्ष	–तदैव–	रेफ्रीजरेटर एयर कण्डीशनर आदि का ज्ञान/मरम्मत तथा स्थापित करना एवं चलाना।
7	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	दो वर्ष	–तदैव–	यांत्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार, नाप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided Design (CAD) के माध्यम से डिजाईनिंग।
8	ड्राफ्ट्समैन सिविल	दो वर्ष	–तदैव–	भवन, पुल आदि का आकार नाप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided Design (CAD) के माध्यम से डिजाईनिंग।
9	इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक	दो वर्ष	–तदैव–	इलैक्ट्रानिक्स पुर्जों, उपकरणों जैसे टीवी वी.सी.आर. सामान्य इलैक्ट्रानिक्स उपकरण आदि की मरम्मत करना।
10	मैकेनिक मोटर व्हीकल	दो वर्ष	–तदैव–	डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाड़ियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान एवं गाड़ियों का चलाना।
11	इन्फारमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेन्टीनेन्स	दो वर्ष	–तदैव–	कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी, उसका रखरखाव एवं सूचना सम्बन्धी नई पद्धति की जानकारी आदि।
12	लेब्रोट्री एसिसटेंट केमिकल प्लांट	दो वर्ष	–तदैव–	औद्योगिक इकाईयो में कैमिकल प्लांट सम्बन्धी कार्य।
13	मैकेनिक डीजल	एक वर्ष	–तदैव–	डीजल इंजन को चलाने व मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान ।
14	मैकेनिक ट्रैक्टर	एक वर्ष	–तदैव–	ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, उसका रखरखाव एवं चलाना।
15	मेकैनिक ऑटो बॉडी रिपेयर	एक वर्ष	–तदैव–	वाहनों की बॉडी की डेन्टिंग एवं अन्य मरम्मत सम्बन्धी कार्य करना।
16	मै0 कन्ज्यूमर इलैक्ट्रानिक्स	दो वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	घरेलू एवं व्यावसायिक इलैक्ट्रिानिक उपकरणों के मरम्मत सम्बन्धी कार्य।
17	सर्वेयर	एक वर्ष	–तदैव–	भूमि की ऊपरी सतह, भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करना।
18	फाउण्ड्रीमैन	एक वर्ष	–तदैव–	बने हुये साँचों के अनुरूप पिघली धातु से पुर्जों की ढलाई करना ।
19	मेकैनिक ऑटो बॉडी पेन्टिग	एक वर्ष	–तदैव–	वाहनों की बॉडी पेन्टिंग सम्बन्धी कार्य।
20	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोगामिंग	एक वर्ष	–तदैव–	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इन्ट्री प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशन पैकेजेज को

PROGRAMME IMPLEMENT

	असिस्टेंट			चलाने का ज्ञान।
21	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रीयल असिस्टेंट हिन्दी	एक वर्ष	–तदैव–	हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा (आशुलिपि हिन्दी) में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
22	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रीयल असिस्टेंट अग्रेजी	एक वर्ष	–तदैव–	अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
23	सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस अंग्रेजी	एक वर्ष	–तदैव–	कार्यालय पद्धति का ज्ञान दिया जाता है। जिसके साथ आशुलेखन तथा टंकण का कार्य भी सिखाया जाता है
24	कॉस्मोटोलॉजी	एक वर्ष	–तदैव–	ब्यूटीशियन, ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइल आदि सम्बन्धी कार्य।
25	फैशन डिजाइन टैक्नोलॉजी	एक वर्ष	–तदैव–	आधुनिक प्रकार के परिधानों की स्केचिंग कर डिजाइन करना।
26	हयूमन रिर्सोसेज एक्जीक्यूटिव	एक वर्ष	–तदैव–	विभिन्न संस्थानों में मानव संसाधनों की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करना।
27	हॉस्टिपल हाउस कीपिंग	एक वर्ष	–तदैव–	हॉस्पिटल के रख–रखाव के सम्बन्ध में जानकारी आदि।
28	वायरमैन	दो वर्ष	आठवीं पास	घरेलू एवं औद्योगिक भवनों की वायरिंग, विद्युत लाईन खींचना, उत्पन्न खराबी ठीक करना।
29	पेन्टर जनरल	दो वर्ष	–तदैव–	सम्पूर्ण पेन्टिंग का कार्य जैसे फर्नीचर, व्हीकल पर लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य करना।
30	वैल्डर (गैस एण्ड इलै.)	एक वर्ष	–तदैव–	धातु के बने हुये पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत वैल्डिंग द्वारा जोड़कर बनाना।
31	कारपेन्टर	एक वर्ष	–तदैव–	लकड़ी का फर्नीचर घरेलू सामान आदि का निमार्ण करना एवं पालिश करना।
32	प्लम्बर	एक वर्ष	–तदैव–	पानी की लाईन, टोंटी, टंकी, वाल्ब आदि की मरमत एवं सैनेटरी फिटिंग का कार्य
33	स्वीईंग टेक्नोलोजी	एक वर्ष	–तदैव–	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करके गारमेन्ट्स तैयार करना।
34	सरफेस आरनामेन्ट टेक्निक (इम्ब्राईडरी)	एक वर्ष	–तदैव–	कपड़े पर रंगीन धागों से सुन्दर–सुन्दर डिजाईनों की कढ़ाई करना ।
35	ड्रेस मेकिंग	एक वर्ष	–तदैव–	आधुनिक प्रकार के परिधानों तैयार करना।

PROGRAMME IMPLEMENT

खेल विभाग, उत्तराखण्ड

खेल विभाग

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति **(संशोधित)**	इन प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिवर्ष लगभग 250 प्रशिक्षक रोजगार प्राप्त करते हुए लाभान्वित होते हैं।	• राज्य के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। • खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम 70 वर्ष। • शैक्षिक एवं खेल योग्यता आदि संबंधी • कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हेतु मूल / स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है।	• विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों के स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों के सुचारू रूप से संचालन हेतु कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते हैं। • जनपद स्तर पर जिला क्रीड़ाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशिक्षण शिविर संचालित करने हेतु आवेदन के आधार पर। • योजना हेतु प्रतिवर्ष संभवतः माह मार्च में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा प्रशिक्षण शिविर अधिकतम 11 माह (15 अप्रैल से 15 मार्च तक) हेतु आयोजित किये जाते हैं।
2.	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान की जाती है।	राज्य की विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयुवर्ग में प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों / सदस्यों को खेल संघ के माध्यम से खेल किट प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत वर्ष में लगभग 1000 / – खिलाड़ी लाभान्वित होते है।	सम्बन्धित खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों का चयन किया जाता है तथा सम्बन्धित खेल संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किट हेतु आवेदन किया जाता है।	राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयुवर्ग में प्रतिभाग करने वाली टीमों के प्रत्येक खिलाड़ियों / सदस्यों को रू0 5000 / – धनराशि की खेल किट (ट्रैकसूट, जर्सी, नैकर, सॉक्स एवं सूज) प्रदान किये जाते हैं।
3.	उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों / क्लबों / खेल समितियों को अनुदान एवं	मान्यता प्राप्त संघों / क्लबों / खेल समितियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु रू0 3.50 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू0 2.50 लाख एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि तथा अर्न्तराष्ट्रीय	मान्यता प्राप्त संघों / क्लबों / खेल समितियों एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को विभागीय नियमानुसार निर्धारित	उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों / क्लबों / खेल समितियों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं संघों / खिलाड़ियों हेतु खेल उपस्कर (उपकरण) क्रय हेतु अनुदान एवं आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे वर्ष भर में लगभग 20 खेल संघ / खेल समितियां / खिलाड़ी लाभान्वित होते हैं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	आर्थिक सहायता	स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को धनराशि रू0 2.50 लाख दिये जाने का प्राविधान है।	प्रारूप पर अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है।	
4.	अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता	अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली टीमों के सभी खिलाड़ी/सदस्यों को विभागीय मानक के अनुसार यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, भोजन भत्ता एवं खेल किट आदि की सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।	जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के चयन ट्रायल्स आयोजित किये जाते हैं तथा चयनित खिलाड़ियों को अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होता है।	भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के कार्मिक हेतु प्रत्येक वर्ष अनेक खेलों में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के सम्भावित 150 कार्मिक लाभान्वित होते हैं।
5.	निजी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं (बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्कवैश, इंडोर क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी एवं स्वीमिंग) का निर्माण	अवस्थापना की कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 50.00 लाख तक दी जाती है।	राज्य के समस्त व्यक्ति	• विभाग द्वारा राज्य के जनमानस को खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान किये जाने की योजना है। यह अनुदान अवस्थापना की कुल लागत की 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50.00 लाख तक दी जाती है। इन खेल अवस्थापना सुविधाओं का संचालन कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। • खेल निदेशालय में ऑफलाईन आवेदन के आधार पर निर्धारित प्रारूप में। • आवेदक द्वारा आवेदन कभी भी आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। • योजना हेतु निर्धारित समिति द्वारा पात्र आवेदक को अनुदान

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू—सर्क)

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू0–सर्क)

क्र0 सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवदेन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1.	यू–सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	यू–सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रो में क्षेत्र के छात्र–छात्राओं के साथ ही क्षेत्र की महिलाओं व आमजन को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।	क्षेत्र के समस्त छात्र छात्राए एवं जनसामान्य	पं0 ल0 मो0 शर्मा, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश तथा सोवन सिंह जीना वि0 विद्यालय अल्मोडा में हरेला पीठ स्थापना कर टीशु कल्चर लैब तथा हाईटेक नर्सरी का विकास किया गया है। इसके साथ ही HARC नौगॉव उत्तरकाशी में एवं सी0आई0एम0एस0, देहरादून में उच्च गुणवत्ता युक्त Spawn मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु तथा सतपुली पौड़ी में छात्र–छात्राओं, क्षेत्रीय महिलाओं एवं आमजन के उद्यमिता विकास व स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु यू–सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना की गई। उद्यमिता विकास केन्द्र से सम्पर्क कर लाभ उठाया जा सकता है।
2.	महिलाओं, महिला वैज्ञानिकों, अध्यापकों एवं युवा छात्र – छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कॉनक्लेव एवं सम्मान का आयोजन	राज्य के छात्रों, अध्यापकों एवं महिलाओं हेतु वैज्ञानिक अभिवृत्ति की वृद्धि एवं कौशल विकास एवं प्रोत्साहन हेतु निम्न कान्क्लेव का आयोजन कर सम्मान प्रदान किया जाता है। • युवा–बाल समागम– मेधावी छात्र सम्मान • अध्यापक / विज्ञान कान्क्लेव– विज्ञान प्रसार सम्मान • महिला वैज्ञानिक कान्क्लेव – उत्कृष्ट युवा महिला वैज्ञानिक सम्मान • महिला प्रयोगधर्मी सम्मान	छात्रों, अध्यापकों, महिलाओं एवं जनसामान्य	• यू–सर्क द्वारा जनपदवार बाल युवा समागम का आयोजन किया जाता है। आयोजक जनपद के उत्तराखण्ड बोर्ड के हाईस्कूल / बारहवीं कक्षा के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 5–5 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। उक्त योग्यता सूची सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। • विज्ञान अध्यापक कान्क्लेव द्वारा उत्तराखण्ड के विज्ञान अध्यापकों एवं विज्ञान उन्मुख शिक्षकों की विचारों के आदान प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहन एवं बढावा देने हेतु उन्हें विज्ञान प्रसार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सम्मान हेतु प्रदेशभर से अध्यापकों के आवेदन पत्र मांगे जाते है, जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। • यू–सर्क द्वारा प्रतिवर्ष महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु महिला वैज्ञानिक कॉनक्लेव तथा उत्कृष्ट महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				सम्मान हेतु प्रदेशभर से महिला वैज्ञानिकों के आवेदन पत्र मांगे जाते है, जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। राज्य में विज्ञान के समावेश से अनुकरणीय कार्य करने वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन एवं बढावा देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला प्रयोगधर्मी सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
3.	डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना	• डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से विभिन्न विषयों यथा– ICT Orientation, Emerging Technologies इत्यादि पर प्रशिक्षण career counselling प्रदान किये जाते है।	प्रदेश के समस्त छात्र छात्राए	• प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से डिजीटल प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पांच दिवसीय/सात दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

विज्ञानधाम–(यू–कॉस्ट), उत्तराखण्ड